सत्यमेव जयते

CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

CARA

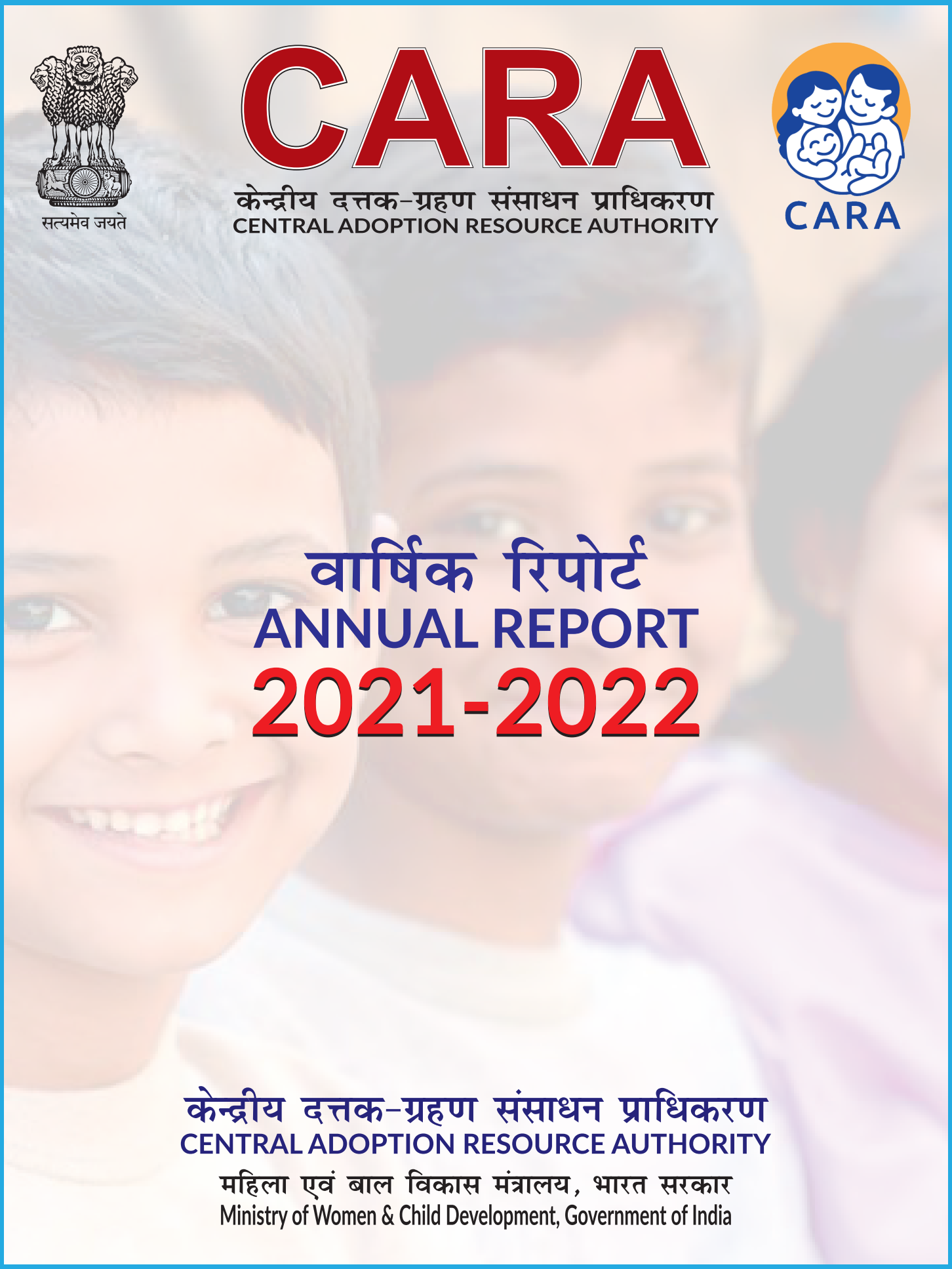

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-2022

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022

CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

विषय सूची

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कथन *i*

अध्याय 1 : प्रस्तावना 1

1.1 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 1

1.2 कारा की संचालन समिति 1

अध्याय 2 : हालिया सरकारी अधिसूचनाएं 3

अध्याय 3 : महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियाँ 4

3.1 एसएए–सीसीआई लिंकेज 4

3.2 कारा हेल्पलाइन और शिकायतों का निपटान 4

3.3 संसदीय समिति की समीक्षा 4

3.4 राज्य समन्वय 4

3.5 विशेष आवश्यकताओं वाले और बड़े बच्चों का पुनर्वास 5

3.6 दत्तक–ग्रहण विनियम पर मांगे गए सुझाव 5

3.7 जम्मू और कश्मीर में कार्यक्रम 5

3.8 कोविड–19 से जुड़ी पहलें 5

3.9 बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) 5

3.10 प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित गतिविधिया 7

3.11 दत्तक–ग्रहण जागरूकता माह – नवंबर 2021 8

3.12 बाल कल्याण समितियों के साथ बैठक 13

3.13 आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान गतिविधियां 15

3.14 गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम 15

3.15 हिंदी पखवाड़ा 16

3.16 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 16

3.17 महिला दिवस समारोह 17

3.18 17 नवंबर, 2021 से प्रति सप्ताह दो बार रेफरल फिर से शुरू 17

3.19 बच्चों के दत्तक–ग्रहण के मामले में नियमों को आसान बनाना 17

अध्याय 4 : सांविधिक अनुपालन 18

4.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अनुपालन 18

4.2 शिकायत प्रबंधन 19

4.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर सूचना 19

अध्याय 5 : आंकडा–आधार 20

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान दत्तक–ग्रहण के आंकड़े (समेकित) 20

5.2 दत्तक–ग्रहण (देशीय और अंतरराष्ट्रीय) का राज्य–वार और लिंग–वार विवरण 20

5.3 भारतीय बच्चों के अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण का देश–वार और लिंग–वार विवरण 22

5.4 देशीय दत्तक–ग्रहण का श्रेणी–वार विवरण 24

5.5 अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण का श्रेणी–वार विवरण 24

5.6 देशीय कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण के मामलों में जारी किए गए पूर्व–अनुमोदन पत्र (जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक प्रभावी) 24

5.7 अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के ऐसे मामले जिनकी जांच की गई (2020–2021) 24

5.8 देशीय दत्तक–ग्रहण के लिए किए गए गृह अध्ययन के मामले (2020–2021) 24

अध्याय 6 : अनुलग्नक 25

परिशिष्ट–क : जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की राज्य–वार संख्या 25

परिशिष्ट–ख : विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की राज्य–वार संख्या 26

परिशिष्ट–ग : अधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण एजेंसियों (एएफएए) की देश–वार संख्या 27

परिशिष्ट–घ : कारा/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारकों को जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों और एडवाइजरी की प्रतियां 28

अध्याय 7 : वर्ष 2021–22 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा 32

इन्दीवर पान्डेय, आई.ए.एस.
सचिव

INDEVAR PANDEY, I.A.S.
Secretary

Tel. : 011-23383586, 23386731
Fax : 011-23381495
E-mail: secy.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
Government of India
Ministry of Women & Child Development

G20 भारत 2023 INDIA

संदेश

जैसा कि आप सभी जानते हैं, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने, पहचान के विकास को सुगम बनाने और समावेशी एवं सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए परिवार और समुदाय के संसाधनों सहित सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की कमजोरियों को कम किया जा सके। अधिनियम प्रत्येक बच्चे के कल्याण पर जोर देता है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

विशेष रूप से किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत भारत की दत्तक ग्रहण प्रणाली की नींव उचित रूप से अतिसावधान और बच्चों पर केंद्रित है और इस प्रक्रिया के मूल तत्व अच्छे और मजबूत हैं। हालांकि, कारा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार सहित विभिन्न प्राधिकरणों और एजेंसियों द्वारा यह पाया गया है कि इस प्रणाली को और बेहतर एवं सुव्यवस्थित किया जा सकता है ताकि उन बच्चों को लाभान्वित किया जा सके जिनका जीवन प्यार और देखभाल करने वाले परिवारों द्वारा गोद लिए जाने से बहुत प्रभावित होता है।

जे.जे. अधिनियम की धारा 68 यह प्रावधान करती है कि कारा के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य यह है कि वह दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों पर समय-समय पर आवश्यक विनियम तैयार करे। मंत्रालय ने कारा की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए कारा के साथ कई दौर की बैठकें कीं और इसके जवाब में कारा ने अपने संचालन में सुधार के लिए संशोधित विनियम तैयार करने के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, वेबिनारों का आयोजन किया।

मैं कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम किया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के दत्तक ग्रहण में अपना योगदान दिया है। मैं विशेष रूप से बड़े बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गोद लेने और उनके संस्थानीकरण को समाप्त करने वाले भावी माता-पिता को बधाई देता हूँ क्योंकि ये बच्चे चुनौतीपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थितियों से गुजर रहे हैं।

मैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने डेटा बेस को मजबूत करें और अपने-अपने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गोद लेने के अपने कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए काम करें ताकि गोद लेने योग्य बच्चों को अधिक संख्या में दत्तक ग्रहण के दायरे में लाया जा सके क्योंकि परिवार आधारित देखभाल से अनिवार्य रूप से सभी अनाथ और निराश्रित बच्चों के कल्याण और उनके स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इन्दीवर पान्डेय

(इन्दीवर पाण्डेय)
सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अध्यक्ष, कारा की संचालन समिति
भारत सरकार

परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक–ग्रहण विनियम
एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण एजेंसी
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के तहत नामित सरकारी विभाग)
कारा	:	केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
सीसी	:	अनुरूपता प्रमाण पत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण इकाई
डीसीपीओ	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	:	एकीकृत बाल विकास योजना
आईसीटी	:	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	:	भारतीय राजनयिक मिशन
आईईसी	:	सूचना शिक्षा और संचार
जेजे अधिनियम	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
जेजे मॉडल नियमावली	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016
एमआईएस	:	प्रबंध सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएएस	:	अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित
ओसीआई	:	भारतीय प्रवासी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता–पिता
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसी
एसएआरए	:	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी
एसएनसी	:	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

1 अध्याय

प्रस्तावना

1.1 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्यार करने वाले परिवारों की तलाश करने के प्रमुख अधिदेश के साथ अनाथ, परित्यक्त या अध्यर्पित बच्चों के दत्तक–ग्रहण को विनियमित करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 1990 में केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना की गई थी। 2 जुलाई, 1998 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 मार्च 1999 को कारा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करके इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया। जेजे अधिनियम, 2000 के तहत दत्तक–ग्रहण ने मान्यता प्राप्त एजेंसियों और प्राधिकरणों की भागीदारी के साथ बच्चों के दत्तक–ग्रहण में प्लेसमेंट को सक्षम बनाया ताकि संस्थागत बच्चों के दत्तक–ग्रहण में प्लेसमेंट के लिए सुरक्षोपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

1.1.2 भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी, 2016 को अधिसूचित जेजे अधिनियम 2015 की धारा 68 के माध्यम से कारा ने देश में दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने; देशीय दत्तक–ग्रहण को सुगम बनाने; अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण को सुगम बनाने; दत्तक–ग्रहण से संबंधित मामलों पर विनियम बनाने और अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण को सुगम बनाने तथा बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के लिए हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया। कारा अधिकतम बच्चों को दत्तक परिवारों के साथ गैर संस्थागत देखभाल में रखना चाहता है। कारा को 2003 में अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन,1993 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया। सदस्य सचिव और सीईओ केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के 37 स्वीकृत पद हैं।

1.1.3 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत कारा को निम्नलिखित कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

(क) राज्य एजेंसियों के समन्वय में देशीय दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण को सुगम बनाना;

(ख) अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण को विनियमित करना;

(ग) समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार दत्तक–ग्रहण और संबंधित मामलों पर विनियम तैयार करना;

(घ) अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों को संपन्न करना;

(ङ) दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 के तहत प्रदान किए गए अन्य कार्य।

1.2 कारा की संचालन समिति

1.2.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के तहत 15 जनवरी, 2016 से लागू दो साल के कार्यकाल के लिए दिनांक 22 मार्च 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीडब्ल्यू–II/26/7/2015 के माध्यम से कारा की संचालन समिति का गठन किया गया है। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (पप) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3035 दिनांक 12 अगस्त 2021 के माध्यम से 12 अगस्त 2021 से लागू दो साल के कार्यकाल के लिए गठित कारा की संचालन

समिति की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है :

- ❑ श्री. इंदेवर पाण्डेय, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–अध्यक्ष (पदेन)
- ❑ सुश्री. सुकृति लिखी, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार– सदस्य (पदेन)
- ❑ सुश्री. इंद्रा मल्लो, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–सदस्य (पदेन)
- ❑ श्री. भास्कर सरमा, आयुक्त–सह–सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा सरकार–सदस्य
- ❑ श्री. थिंगनम रोशन सिंह, एसएए, वांगखेई निंगथेमप्रुखरी मलखा लीकाई, इंफाल पूर्व–सदस्य
- ❑ श्री. बिमल कुमार त्यागी, सेवा भारती मध्य भारत, मातृछाया (शिशु कल्याण केंद्र) स्वामी रामतीर्थ नगर, भोपाल– सदस्य
- ❑ सुश्री. संगीता बंगीवार, पुणे (दत्तक माता–पिता)–सदस्य
- ❑ सुश्री. शिराली राधाकृष्ण तैयबजी, नई दिल्ली (अडाप्टी) –सदस्य
- ❑ प्रो. पूनम सक्सेना, वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी–सदस्य
- ❑ सुश्री. तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–सदस्य सचिव और सीईओ, कारा

1.2.2 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कारा की संचालन समिति ने विभिन्न नीतिगत मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समिति ने अपनी बैठकों का आयोजन निम्नानुसार कियाः–

- 28वीं बैठक 22 अक्टूबर 2021को हुई
- 29वीं बैठक 05 जनवरी 2022 को हुई
- 30वीं बैठक संचलन आधार पर हुई

2
अध्याय

हालिया सरकारी अधिसूचनाएं

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में दत्तक–ग्रहण से संबंधित मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 के प्रस्तावित संशोधन में पाठों को शामिल किया गया है।

क) **भारत कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई) का अधिकार (4मार्च, 2021)** : दिनांक 4 मार्च 2021 के नोटिस के अनुसार, दत्तक–ग्रहण के मामले में भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिकों को अनिवासी भारतीयों के साथ समानता प्रदान की गई है।

ख) **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन (9 अगस्त, 2021)** : 9 अगस्त, 2021 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन किए गए हैं और संशोधनों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इसमें मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत दत्तक–ग्रहण आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। दत्तक–ग्रहण के मामले में जिलाधिकारी को शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में और संभागीय आयुक्त को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना होता है। अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को इसका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ–साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयासों का सुनिश्चय करने की शक्ति प्रदान की गई है।

ग) **विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका (11 अगस्त, 2021)** : केंद्र सरकार ने 11 अगस्त, 2021 को अधिसूचना जारी की जिसके माध्यम से भारतीय दत्तक माता–पिता को दत्तक–ग्रहण के बाद के उनके फॉलो–अप को पूरा किए बिना भी विदेशों में स्थानांतरित होने में सक्षम बनाया गया और दत्तक–ग्रहण के बाद की उनकी अनुवर्ती रिपोर्ट को भारतीय मिशनों द्वारा पूरा किया जाना है।

घ) **हिंदू दत्तक–ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (एचएएमए) पर विनियम (17 सितंबर, 2021)**: सरकार ने 17 सितंबर, 2021 को देश के बाहर रहने वाले हिंदू भावी दत्तक माता–पिता या दत्तक माता–पिता द्वारा गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए "हिंदू दत्तक–ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के तहत ऐसे व्यक्तियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों के लिए प्रक्रिया जो विदेशों में स्थानांतरित होना चाहते हैं" को अधिसूचित किया है। कारा को दत्तक–ग्रहण के ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन और प्राप्तकर्ता देश से आवश्यक अनुमति के आधार पर एनओसी जारी करने का अधिकार दिया गया है।

सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद से, जिला मजिस्ट्रेटों ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 22 एचएएमए सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियाँ

3 अध्याय

3.1 एसएए–सीसीआई लिंकेज

माता–पिता की देखभाल से वंचित हर बच्चे तक पहुंचने के उद्देश्य से विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के बीच लिंकेज स्थापित किया गया है। माता–पिता की देखभाल से वंचित हर बच्चे तक पहुंचने के उद्देश्य से सीसीआई के अनिवार्य पंजीकरण और एसएए के साथ लिंकेज के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसएए–सीसीआई लिंकेज में तेजी लाई गई है। 30 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार,जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार 5925 बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 5725 सीसीआई को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 66 के प्रावधान के अनुसार एसएए से जोड़ा गया है और शेष सीसीआई को जोड़ने का कार्य लंबित है। इसमें मौजूदा 484 एसएए शामिल नहीं हैं जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015(2021 में संशोधित) की धारा 2(21) के अनुसार सीसीआई भी हैं। इस अवधि के दौरान विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियों के अलावा अन्य बाल देखभाल संस्थानों के कई बच्चों को परिवार मिला।

3.2 कारा हेल्पलाइन और शिकायतों का निपटानः

दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया में अन्य हितधारकों सहित भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) से मुख्य रूप से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें मुख्य रूप से चिकित्सा आधार, दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया में देरी, वरिष्ठता की स्थिति, एसएए की दत्तक–ग्रहण समिति द्वारा अस्वीकृति आदि से संबंधित होती हैं। कारा द्वारा ऐसे मामलों में समय पर हस्तक्षेप किया जाता है जहां अदालती कार्यवाही में देरी होती है, बाल कल्याण समिति के स्तर पर मामला लंबित होता है और पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र आदि के मामले में देरी होती है।

सक्षम शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया की गारंटी देने के लिए पूरी शिकायत साइट को फिर से डिजाइन किया जा रहा है जो संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए, अनुपालन के उच्च मानकों को लागू करते हुए और गैर अनुपालन के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए समय पर, सम्मानजनक और सक्रिय तरीके से सरोकारों से निपटती है।

3.3 संसदीय समिति की समीक्षा

17 नवंबर, 2021 को ''संरक्षण और दत्तक–ग्रहण कानूनों की समीक्षा'' पर संसदीय उप समिति की एक बैठक का भी आयोजन किया गया तथा संसदीय समिति ने दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम के कामकाज का आकलन करने के लिए एक स्थानीय दत्तक–ग्रहण एजेंसी का दौरा भी किया और इसने कुछ प्रश्न उठाए हैं जिनका अलग से जवाब दिया जा रहा है। दत्तक–ग्रहण से पहले, दत्तक–ग्रहण के दौरान और दत्तक–ग्रहण के बाद की प्रक्रियाओं सहित विभिन्न चरणों पर दत्तक–ग्रहण की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्यों को सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और एसएए की भागीदारी के साथ जेजे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते पाया गया है।

3.4 राज्य समन्वय

अंतरराष्ट्रीय समन्वय अनुभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय किया, जिसमें देश भर में राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसियां (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी), विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियां (एसएए) और बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) शामिल हैं।

इस अनुभाग ने देशीय दत्तक–ग्रहण के मामलों में विदेश जाने/पुर्णस्थापना के लिए समर्थन पत्र और देशीय दत्तक–ग्रहण के लिए आवश्यक पूर्व–अनुमोदन पत्र जारी करने से संबंधित कार्यों को पूरा किया।

अनुभाग ने अन्य कार्यों को भी अंजाम दिया जैसे कि साप्ताहिक रेफरल चक्र, भौतिक/टेलीफोनिक परामर्श, भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) और दत्तक–ग्रहण एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों और केयरिंग्स पोर्टल से संबंधित मुद्दों का निवारण। सीडब्ल्यूसी और न्यायालय के स्तर पर देरी को कम करने के प्रयास किए गए हैं।

3.5 विशेष आवश्यकताओं वाले और बड़े बच्चों का पुनर्वास

वित्त वर्ष के दौरान और विशेष रूप से दत्तक–ग्रहण माह के दौरान कारा ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया। ऐसा बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है जो मानसिक रूप से बीमार या शारीरिक रूप विकलांग या दोनों होता है। मुख्य अपंगताओं में दिखाई न देना, सेरेब्रल पाल्सी, कटे होंठ तालु, जुड़े पैर, सुनाई न देना इत्यादि शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण माह (नवंबर) के दौरान केयरिंग्स पोर्टल पर कुल 496 बच्चे लाइव थे, जिसका उद्देश्य ऐसे परिवारों के साथ उनका पुनर्वास करना था जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेना चाहते थे। 15 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 285 बच्चों को आरक्षित किया गया था।

3.6 दत्तक–ग्रहण विनियम पर मांगे गए सुझाव

वर्ष 2021 में कई सरकारी अधिसूचनाओं (9 अगस्त 2021 को जेजे अधिनियम 2015 में संशोधन, 17 सितंबर 2021 को एचएएमए पर विनियमों की अधिसूचना, 4 मार्च 2021 को ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकार पर अधिसूचना और 11 अगस्त 2021 को विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका पर अधिसूचना) की पृष्ठभूमि में और विनियमों में संशोधन के लिए हितधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद, प्रणाली को और सरल बनाने और देश के दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए मौजूदा विनियमों में बदलाव करना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में, सभी हितधारकों के साथ कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया।

3.7 जम्मू और कश्मीर में कार्यक्रम

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, जो पहले राज्य था, ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में गठित केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) के मार्गदर्शन में दत्तक–ग्रहण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) का गठन किया है। यह एजेंसी इस संघ राज्य क्षेत्र में दत्तक–ग्रहण के कार्यक्रम के प्रचार, सुगमता, निगरानी और विनियमन के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में भी काम करेगी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 के तहत निर्धारित कार्यों को करेगी।

3.8 कोविड–19 से जुड़ी पहलें

देश में नॉवेल कोरोनावायरस कोविड–19 के अभूतपूर्व प्रसार, राष्ट्रीय लॉकडाउन और बाद में अनलॉक के लिए दिशानिर्देश जारी होने के दौरान, कारा ने भारत सरकार द्वारा जारी यात्रा/एहतियाती सलाह के अनुसार दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुगम बनाया।

3.9 बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

3.9.1 बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक–ग्रहण पर एक ई–गवर्नेंस पहल है और कारा की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.cara.nic.in पर होस्ट की गई, जिसमें विभिन्न हितधारकों को नियंत्रण आधारित पहुंच प्रदान की गई है। यह दो डेटाबेस को एकीकृत करता है। इसे फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया, 2015 में और नया रूप दिया गया और इसे कारा की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.cara.nic.in पर होस्ट किया जा रहा है। यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली पूरे देश में दत्तक–ग्रहण की पारदर्शी और बालोनुकूल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह प्रणाली त्वरित और सुचारू दत्तक–ग्रहण को सुगम बनाती है, दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाती है, हितधारकों के एक नेटवर्क का निर्माण करती है और प्रभावी नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस का अनुरक्षण करती है। केयरिंग्स केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर एसएआरए द्वारा दत्तक–ग्रहण के दौरान और दत्तक–ग्रहण के बाद की प्रक्रिया की

ऑनलाइन निगरानी प्रदान करता है।

3.9.2 केयरिंग्स दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया का केंद्र बन गया है और एक ई–गवर्नेंस टूल के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसे एकमात्र प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया गया है जिसके माध्यम से कानूनी दत्तक–ग्रहण को प्रोसेस किया जा सकता है। केयरिंग्स कारा से जुड़ने के लिए देश की लगभग 484 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियों, 734 जिला बाल संरक्षण इकाइयों एवं 34 राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसियों और साथ ही प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरणों, 65 अधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण एजेंसियों, 44 केंद्रीय प्राधिकरणों और विदेशों में स्थित 21 भारतीय राजनयिक मिशनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए भी मंच प्रदान करता है।

3.9.3 स्वचालित प्रणाली दत्तक–ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों का दत्तक माता–पिता के पसंदीदा बच्चों के साथ स्वचालित रूप से मिलान करती है और किसी मानवीय हस्तक्षेप के बगैर स्वचालित रूप से ऑनलाइन रेफरल देती है। नीतियों की समीक्षा पर ऐसा करने की आवश्यकता होने पर स्वचालित रूप से नीति आधारित निर्णय लेने के लिए प्रणाली को गतिशील रूप से बदला जा सकता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन वेब इंटरफेस में एजेंसियों और प्राधिकरणों के कार्यों के निर्वहन के लिए दो संचालन मॉड्यूल (कार्यान्वयन और निगरानी मॉड्यूल) हैं। यह प्राधिकरणों और एजेंसियों को निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाता है:–

3.9.4 इस अवधि के दौरान केयरिंग्स 3.2 नामक नया सरलीकृत ऑनलाइन पोर्टल कार्यशील किया गया है जिसमें नए देशीय कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण और देशीय दत्तक–ग्रहण के बाद अनुवर्ती मॉड्यूल शामिल हैं। कारा कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण पोर्टल के माध्यम से घरेलू रिश्तेदार और सौतेले दत्तक–ग्रहण के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम है। इसके अलावा, दत्तक–ग्रहण के बाद के अनुवर्ती मॉड्यूल के माध्यम से ऐसी रिपोर्टों के लंबित होने की स्थिति की निगरानी की जा सकती है। कारा और इसके हितधारकों द्वारा केयरिंग्स के माध्यम से दत्तक–ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है।

- एसएआरए और डीसीपीयू को स्थानीय स्तर पर एसएए की गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदरी सौंपी गई है।
- दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी विभिन्न स्तरों पर देरी को समझने और प्रणाली की कमियों को दूर करने में मदद करती है।
- समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए डेटा का विश्लेषण संभव है।
- केयरिंग्स पर दत्तक–ग्रहण एजेंसियों का पंजीकरण।
- पीएपी का ऑनलाइन पंजीकरण।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शीघ्र प्लेसमेंट।
- दत्तक–ग्रहण के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई को ऑनलाइन दर्ज किया जाना है।
- एसएए के साथ लिंकेज के माध्यम से अन्य सीसीआई में रखे गए बच्चों का दत्तक–ग्रहण।
- घरेलू दत्तक–ग्रहण को प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- पीएपी से सुझाव/फीडबैक प्राप्त करने के लिए पीएपी फीडबैक मॉड्यूल तैयार किया गया है।

3.9.5 केयरिंग्स और क्षेत्रीय जरूरतों एवं आवश्यकताओं के बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया है:–

- संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण / सरकारी विभाग/एएफएए/भारतीय राजनयिक मिशन (5 अप्रैल, 2021)
- गोवा के नए भर्ती किए गए आईसीपीएस कर्मचारी और एसएआरए के कार्यक्रम प्रबंधक (24 जून, 2021)
- उत्तर प्रदेश के एसएए एवं एसएआरए के जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी/संरक्षण अधिकारी/सदस्य (06 जुलाई, 2021 एवं 07 जुलाई, 2021)
- यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए नए केयरिंग्स–एएफएए मॉड्यूल (17 अगस्त, 2021)
- एसएआरए चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) के लिए दत्तक–ग्रहण विनियम,2017 और केयरिंग्स (26 अगस्त, 2021)
- पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के एसएआरए, एसएए

और डीसीपीयू के लिए नए केयरिंग्स का प्रशिक्षण (06 अक्टूबर, 2021)

- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केयरिंग्स का प्रशिक्षण (13 अक्टूबर, 2021)
- उत्तर प्रदेश के एसएआरए के लिए केयरिंग्स का प्रशिक्षण (7 सितंबर, 2021)
- गोवा के एसएआरए के लिए केयरिंग्स का प्रशिक्षण (30 जून, 2021)

3.10 **प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित गतिविधियां:** दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं जागरूकता फैलाने और देश में कानूनी दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए, कारा विभिन्न हितधारकों के लिए प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसका विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है। सरकार की लॉकडाउन की पहल के साथ वैश्विक महामारी कोविड–19 की अभूतपूर्व स्थिति के कारण गतिविधियों में जानबूझकर बदलाव किया गया है।

वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल रूप में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

क्र.सं.	विवरण	आयोजन की तिथि
1.	एएफएए और सीए और आईडीएम (यूएसए, कनाडा, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के लिए नए केयरिंग्स का प्रशिक्षण	15 अप्रैल 2021
2.	एनओसी समिति के सदस्यों का प्रवेशण प्रशिक्षण	13 मई 2021
3.	पश्चिम बंगाल के एसएआरए के लिए दत्तक–ग्रहण में रखे गए बच्चों के पुनर्वास के लिए कोविड–19 के दौरान सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रशिक्षण	28 और 29 मई 2021
4.	दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया, एसएआरए छत्तीसगढ़	2 जून 2021
5.	सिक्किम न्यायिक अकादमी (दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया)	14 अगस्त 2021
6.	नया केयरिंग्स प्रशिक्षण (एएफएए और सीए और आईडीएम, यूरोप, एशिया, खाड़ी देश और अन्य सभी देश)	17 अगस्त 2021
7.	दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया और केयरिंग्स, एसएआरए चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	26 अगस्त 2021
8.	संशोधित जेजे अधिनियम, 2021 के आलोक में दत्तक–ग्रहण विनियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिव, निदेशक, भारतीय राजनयिक मिशन, एसएआरए, डीसीपीयू और एसएए के कार्यक्रम प्रबंधक)	1 नवम्बर 2021
9.	दत्तक–ग्रहण के विनियमों में बदलाव और एनआरआई और ओसीआई पीएपी पर उनके प्रभाव पर वेबिनार (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिव, निदेशक, भारतीय राजनयिक मिशन, एसएआरए, डीसीपीयू और एसएए के कार्यक्रम प्रबंधक)	15 नवम्बर 2021
10.	पश्चिम बंगाल के एसएआरए के लिए केयरिंग्स पर प्रशिक्षण	23 दिसंबर 2021

3.11 दत्तक–ग्रहण जागरूकता माह – नवंबर 2021

नवंबर के महीने को दत्तक–ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण माह का विषय ''दिव्यांग और बड़े बच्चों का दत्तक–ग्रहण'' था। दत्तक–ग्रहण जागरूकता माह – नवंबर 2021 के दौरान, दत्तक–ग्रहण के उद्देश्य से केयरिंग्स पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले कुल 496 बच्चों की प्रोफाइल अपडेट की गई। दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 की अनुसूची XVIII के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वर्गीकृत किया गया। मुख्य अपंगताओं में दिखाई न देना, सेरेब्रल पाल्सी, कटे होंठ–कटे तालु, जुड़े पैर, सूनाई न देना, जन्मजात हृदय रोग, हीमोफिलिया, हेपेटाइटिस बी, हर्निया, एचआईवी, हाइड्रोसेफलस, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, गायब अंग, बोल न पाना, थैलेसीमिया, ट्यूमर, बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म, दौरे, मानसिक बीमारी और स्पाइनल बिफिडा शामिल थे। भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। इस अभियान के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विशेष आवश्यकता वाले 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों, यानी 274 बच्चों को एक महीने के भीतर भावी दत्तक माता–पिता द्वारा आरक्षित किया गया। माह के दौरान, कारा ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- ❑ दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 के संशोधनों पर 01 नवंबर 2021 और 15 नवंबर 2021 को वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें भाग लेने वालों में भारतीय राजनयिक मिशनों, राज्य सरकारों, एसएआरए और डीसीपीयू के प्रतिभागी शामिल थे।
- ❑ हितधारकों के बीच आवश्यक जागरुकता पैदा करने के लिए 05 राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) के साथ चर्चापरक बैठकों का आयोजन किया गया। कारा के अधिकारियों ने उनके मुद्दों और सरोकारों को समझने के लिए प्रत्येक राज्य में दो एसएए का दौरा भी किया।
- ❑ पूर्वोत्तर राज्यों के डीसीपीयू और एसएआरए के लिए निपसिड, गुवाहाटी के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3.11.1 दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, बैंगलोर

श्री संजय बर्शिलिया, निदेशक (कार्यक्रम) और श्री सैमुअल वर्गीज पी, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) ने 19 नवंबर 2021 को एसएए अर्थात सेंट माइकल होम कॉन्वेंट और मातृछाया का दौरा किया। उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी थे। 20 नवंबर, 2021 को जवाहर बाल भवन, बैंगलोर में दत्तक माता–पिता और

सेंट माइकल होम कॉन्वेंट, बैंगलोर

भावी दत्तक माता–पिता की बैठक आयोजित की गई। सुश्री पल्लवी अकुरति, निदेशक, आईसीपीएस और एसएआरए, कर्नाटक द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। श्री संजय बर्शिलिया, निदेशक (कार्यक्रम), कारा ने जेजे अधिनियम 2021 में हाल के संशोधनों और दत्तक–ग्रहण विनियमों में अन्य परिवर्तनों के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम में दत्तक माता–पिता के साथ–साथ भावी दत्तक माता–पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दिया। दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता दोनों ने अपने अनुभव साझा किए। बैठक के दौरान निदेशक, आईसीपीएस, कर्नाटक और निदेशक, कारा ने एसएआरए, कर्नाटक द्वारा बाल विकास के संबंध में किए गए कार्यों से संबंधित कुछ पुस्तिकाओं का विमोचन किया। एसएए के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 300 दत्तक माता–पिता के साथ–साथ भावी दत्तक माता–पिता ने भाग लिया।

दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, बैंगलोर

3.11.2 दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, पुणे (महाराष्ट्र)

13 नवंबर 2021 को कारा के सहयोग से एसएआरए, महाराष्ट्र द्वारा पुणे में कानूनी दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में, एसएए के साथ पीएपी और दत्तक माता–पिता को आमंत्रित किया गया था। राइटिंग किट और स्नैक्स हैम्पर प्रदान करके सभी आमंत्रितों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेने के लिए डॉ. जगन्नाथ पति, संयुक्त निदेशक (कारा), श्रीमती मनीषा बिरारिस, सहायक आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में), श्रीमती अश्विनी कांबले (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी), डॉ. जयवंत नवरांगे (बाल रोग विशेषज्ञ) बैठक में उपस्थित थे। दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता दोनों ने अपने अनुभव साझा किए। एक बच्चे को गोद लेने वाले एक वृद्ध व्यक्ति के अनुभव बहुत प्रभावशाली, मनोरम और रोमांचकारी करने वाले थे।

पुणे में दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन

डॉ. जगन्नाथ पति, संयुक्त निदेशक (कारा) और राज्य सरकार के अधिकारियों ने दो एसएए यानी अरुणाश्री और कौसुम्बई मोटिच और महिला आश्रम का दौरा किया, ताकि एजेंसियों को अन्य समस्याओं के साथ–साथ उनकी अवसंरचना, रखरखाव, काम करने के तरीके, प्रकृति और व्यवहार और केयरिंग्स पोर्टल के उपयोग के बारे में जानकारी दी जा सके। अपना समर्थन दर्शाते हुए, उन्होंने उन्हें अच्छा काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

अरुणाश्रय, पुणे में फील्ड विजिट

3.11.3 दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, पटना

27 नवंबर 2021 को कारा के सहयोग से कॉन्फ्रेंस हॉल, एसआईएचएफडब्ल्यू, शेखपुरा, पटना में भावी दत्तक माता–पिता और दत्तक माता–पिता, डीसीपीयू, एसएए, सीडब्ल्यूसी और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में कारा के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, पटना

3.11.4 दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, कोलकाता

27 नवंबर 2021 को कोविड के कारण विधाननगर के नगर निगम के खुले मैदान में 'दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता बैठक' का आयोजन किया गया। बैठक में डब्ल्यूसीडीएसडब्ल्यू के सचिव, डब्ल्यूबीएससीपीसीआर के अध्यक्ष, एसएआरए के शासी निकाय के सदस्यों और कारा के प्रतिनिधि ने भाग लिया। कार्यक्रम में सार्थक विचार–विमर्श के लिए अपने बच्चों के साथ दत्तक माता–पिता, भावी दत्तक माता–पिता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। कारा के प्रतिनिधि ने एक दत्तक–ग्रहण एजेंसी का दौरा भी किया ताकि उसके मुद्दों और सरोकारों को समझा जा सके।

दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, कोलकाता

3.11.5 दत्तक माता–पिता और भावी दत्तक माता–पिता सम्मेलन, लखनऊ

28 नवंबर 2021 को एसएआरए, उत्तर प्रदेश के सहयोग से निपसिड के क्षेत्रीय केंद्र परिसर, लखनऊ में भावी दत्तक माता–पिता और दत्तक माता–पिता की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उनके मुद्दों और सरोकारों पर चर्चा करना और कानूनी दत्तक–ग्रहण की प्रक्रिया में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना था। कारा के प्रतिनिधि ने शहर में दो एसएए का दौरा भी किया।

दत्तक और भावी दत्तक माता–पिता
सम्मेलन और कानूनी दत्तक–ग्रहण संवर्धन सम्मेलन, लखनऊ

लखनऊ में एक दत्तक–ग्रहण एजेंसी का दौरा

3.12 बाल कल्याण समितियों के साथ बैठक

कारा ने दत्तक–ग्रहण के दायरे में अधिक बच्चों को लाने के लिए अपने स्तर पर पेंडेंसी को दूर करने के लिए मार्च के महीने में बाल कल्याण समितियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। पटना, चेन्नई, तिरुवल्लूर, अहमदनगर और औरंगाबाद में आयोजित बैठकों के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं।

10.03.2022 को सीडब्ल्यूसी के साथ बैठक

10 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति के साथ बैठक

12 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति, तिरुवल्लुर के साथ बैठक

25 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति, अहमदनगर के साथ बैठक

26 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति, औरंगाबाद के साथ बैठक

10 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति, जयपुर के साथ बैठक

10 मार्च 2022 को बाल कल्याण समिति, धेनकनाल के साथ बैठक

3.13 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान गतिविधियां

14 से 21 नवंबर 2021 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर, कारा ने 15 नवंबर 2021 को दत्तक–ग्रहण के विनियमों में प्रस्तावित बदलावों और एनआरआई और ओसीआई पीएपी पर उनके प्रभाव पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुश्री तृप्ति गुरहा, सीईओ (कारा) ने किया और श्री संजय बर्शिलिया, निदेशक कार्यक्रम और डॉ. जगन्नाथ पति, संयुक्त निदेशक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिसमें राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक, भारतीय राजनयिक मिशन, एसएआरए प्रबंधक, डीसीपीयू और एसएए शामिल थे।

3.14 गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम

श्रीमती तृप्ति गुरहा, सीईओ और सदस्य सचिव (कारा) ने दत्तक–ग्रहण से संबंधित मुद्दों पर पूर्वोत्तर के हितधारकों के अभिसंस्करण के संबंध में 17 और 18 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की और सभी प्रतिभागियों को क्षेत्र में कानूनी दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने की सलाह दी। जेजे संशोधन अधिनियम, जेजे नियमावली और दत्तक–ग्रहण विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों को समझने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से बाल संरक्षण सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग साठ प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3.15 **'हिंदी पखवाड़ा'**: 15 से 30 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान निबन्ध लेखन, स्वरचित कविता पाठ, वाद–विवाद, टिप्पण, राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3.16 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021** : ''स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष : सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता'' विषय पर अक्टूबर–नवंबर के महीने में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के दौरान कारा के कार्यालय में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया :

1) शपथ लेना
2) कारा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीवीसी की साइट पर ऑनलाइन शपथ भी ली।

3.17 महिला दिवस समारोह : 8 मार्च 2021 को केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कार्यालय की सभी महिला कर्मचारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कारा का हिस्सा बनने के लिए उनका धन्यवाद किया गया।

3.18 17 नवंबर, 2021 से प्रति सप्ताह दो बार रेफरल फिर से शुरू कर दिया गया है : इसके परिणामस्वरूप अधिक बच्चों को दत्तक–ग्रहण के दायरे में लाया गया है। कोविड–19 के दौरान, रेफरल को सप्ताह में केवल एक बार संचालित किया जा सकता था।

3.19 बच्चों के दत्तक–ग्रहण के मामले में नियमों को आसान बनाना : हिंदू दत्तक–ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के तहत बच्चों को विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाले माता–पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चों के लिए प्रक्रिया दिनांक 17 सितंबर, 2021 की सरकारी अधिसूचना में निर्धारित की गई है जिसने एनआरआई/ओसीआई पीएपी को कम प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के साथ गोद लेने में सक्षम बनाया है।

सांविधिक अनुपालन:

4 अध्याय

4.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अनुपालन

4.1.1 कारा ने श्री कमल किशोर, उप निदेशक (प्रशा.) को आरटीआई अधिनियम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) (प्रशासन प्रभाग और कार्यक्रम प्रभाग के लिए एक–एक) और एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, कारा को कुल 318 ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई आवेदन (सीधे/हस्तांतरित मामले) प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान सीपीआईओ (कारा) ने आरटीआई के 318 आवेदनों में से 279 आरटीआई आवेदनों का जवाब दिया है (निपटाया है/हस्तांतरित किया है)।

4.1.2 वर्ष 2021–22 के दौरान कारा को कुल 12 ऑनलाइन/ऑफलाइन अपील आवेदन भी प्राप्त हुए और अपीलीय प्राधिकरण (एयू) ने समय सीमा के भीतर सभी 12 अपीलों का जवाब दिया।

4.1.3 आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपील आवेदनों का तिमाही–वार विवरण नीचे दिया गया है :

आरटीआई आवेदन:

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन के रूप में प्राप्त आरटीआई (सीधे/हस्तांतरित मामले) की संख्या ऐसे	ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिनको निपटाया गया/स्थानांतरित किया गया लंबित	ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिन्हें अगली तिमाही में अग्रेनीत किया
पहली तिमाही	73	62	11
दूसरी तिमाही	122	109	24
तीसरी तिमाही	68	59	33
चौथी तिमाही	55	49	**39**
कुल	**318**	**279**	-

आरटीआई अपील

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन के रूप में प्राप्त आरटीआई (सीधे/हस्तांतरित मामले) की संख्या ऐसे	ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिनको निपटाया गया/स्थानांतरित किया गया लंबित	ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिन्हें अगली तिमाही में अग्रेनीत किया
पहली तिमाही	01	01	0
दूसरी तिमाही	01	01	0
तीसरी तिमाही	06	06	0
चौथी तिमाही	04	04	**0**
कुल	**12**	**12**	-

4.2 शिकायत प्रबंधन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण:

4.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर सूचना

समिति को कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शिकायत/पूछताछ का प्रकार	प्राप्त शिकायतों/पूछताछों की कुल संख्या	ऐसी शिकायतों/पूछताछों की कुल संख्या जिनका उत्तर दिया गया
पीएमओ पीजी/सीपी ग्राम	86	86
शिकायत	4505	5063
शिकायत अपील		

* (निस्तारित शिकायतों की संख्या अधिक है क्योंकि उनमें से कुछ की पुनरावृत्ति हुई थी और तदनुसार उनके उत्तर दिए गए थे।)

5
अध्याय

आंकड़ा-आधार

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान दत्तक–ग्रहण के आंकड़े (समेकित):

दत्तक–ग्रहण	2019-2020	2020-2021	2021-2022
देश में	3351	3142	2991
अंतर–देश	394	417	414

5.2 दत्तक–ग्रहण (देशीय और अंतरराष्ट्रीय) का राज्य–वार और लिंग–वार विवरण

दत्तक–ग्रहण (देशीय और अंतरराष्ट्रीय) का राज्य–वार और लिंग–वार विवरण							
अनु क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	देशीय दत्तक–ग्रहण			अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	35	40	75	3	13	16
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2	3	1	7	8
4	असम	37	52	89	0	0	0
5	बिहार	42	72	114	4	09	13
6	चंडीगढ़	4	5	9	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	41	51	92	3	4	7
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	1	2	0	0	0
9	दिल्ली	19	51	70	4	9	13
10	गोवा	8	14	22	0	0	0
11	गुजरात	48	49	97	2	7	9
12	हरियाणा	21	35	56	4	3	7

13	हिमाचल प्रदेश	4	1	5	0	0	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	1	0	0	0
15	झारखंड	32	35	67	2	3	5
16	कर्नाटक	105	145	250	11	27	38
17	केरल	52	41	93	10	5	15
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	62	66	128	5	11	16
21	महाराष्ट्र	234	265	499	25	42	67
22	मणिपुर	1	2	3	2	0	2
23	मेघालय	8	2	10	1	0	1
24	मिजोरम	6	20	26	2	1	3
25	नगालैंड	6	7	13	3	2	5
26	ओडिशा	65	85	150	10	19	29
27	पांडिचेरी	4	6	10	0	1	1
28	पंजाब	15	23	38	1	4	5
29	राजस्थान	54	75	129	7	6	13
30	सिक्किम	19	20	39	0	0	0
31	तमिलनाडु	129	165	294	14	17	31
32	तेलंगाना	61	117	178	13	22	35
33	त्रिपुरा	7	4	11	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	73	101	174	10	29	39
35	उत्तराखंड	5	9	14	1	0	1
36	पश्चिम बंगाल	94	135	229	19	11	30
	कुल	**1293**	**1698**	**2991**	**157**	**252**	**409**

5.3 भारतीय बच्चों के अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण का देश–वार और लिंग–वार विवरण

भारतीय बच्चों के अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण का देश–वार और लिंग–वार विवरण				
क्र. संख्या	देश	अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण		
		पुरुष	महिला	कुल
1.	ऑस्ट्रेलिया	0	0	0
2.	ऑस्ट्रिया	0	0	0
3.	बहरीन	0	0	0
4.	बारबाडोस	0	0	0
5.	बेल्जियम	0	0	0
6.	ब्राज़िल	0	0	0
7.	कनाडा	5	19	24
8.	चिली	0	0	0
9.	चीन	0	0	0
10.	क्यूबा	0	0	0
11.	साइप्रस	0	0	0
12.	चेक रिपब्लिक	0	0	0
13.	डेनमार्क	2	1	3
14.	इथियोपिया	0	0	0
15.	फिनलैंड	9	4	13
16.	फ्रांस	3	3	6
17.	जर्मनी	0	1	1
18.	घाना	0	0	0
19.	हॉगकॉग	0	0	0
20.	हंगरी	0	0	0
21.	आइसलैंड	0	0	0
22.	इंडोनेशिया	0	0	0
23.	आयरलैंड	0	0	0
24.	इजराइल	0	0	0
25.	इटली	54	51	105
26.	जापान	0	0	0
27.	जॉर्डन	0	0	0
28.	केन्या	0	0	0
29.	लक्समबर्ग	0	0	0

30.	मलावी	0	0	0
31.	मलेशिया	0	0	0
32.	माल्टा	23	18	41
33.	मॉरीशस	0	0	0
34.	मेक्सिको	0	0	0
35.	मोरक्को	0	0	0
36.	मोजाम्बिक	0	0	0
37.	नेपाल	0	0	0
38.	नीदरलैंड	0	0	0
39.	न्यूज़ीलैंड	0	6	6
40.	नाइजीरिया	0	0	0
41.	नॉर्वे	0	0	0
42.	फिलीपींस	0	0	0
43.	पोलैंड	0	0	0
44.	पुर्तगाल	0	0	0
45.	रोमानिया	0	0	0
46.	रूस	0	0	0
47.	सैन मारिनो	0	0	0
48.	सऊदी अरब	0	0	0
49.	स्कॉटलैंड	0	0	0
50.	सेशल्स	0	0	0
51.	सिंगापुर	0	0	0
52.	स्लोवेनिया	0	0	0
53.	दक्षिण अफ्रीका	0	0	0
54.	दक्षिण ऑस्ट्रेलिया	0	0	0
55.	दक्षिण कोरिया	0	0	0
56.	स्पेन	10	13	23
57.	श्रीलंका	0	0	0
58.	स्वीडन	7	6 +1 (अन्य)	14
59.	स्विट्ज़रलैंड	1	0	1
60.	ताइवान	0	0	0
61.	तंजानिया	0	0	0
62.	थाईलैंड	0	0	0
63.	टर्की	0	0	0
64.	यू.के.	1	6	7
65.	संयुक्त अरब अमीरात	0	0	0

66.	अमेरीका	40	124	164
67.	वियतनाम	0	0	0
68.	पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया	0	0	0
69.	जाम्बिया	0	0	0
कुल		155	253	**408**

5.4 देशीय दत्तक–ग्रहण का श्रेणीवार विवरणः

अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित बच्चों का दत्तक–ग्रहण	कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण	सौतेला दत्तक–ग्रहण
2991	179	44

5.5 अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण का श्रेणीवार विवरण :

अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित बच्चों का दत्तक–ग्रहण	कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण
408	20

5.6 देशीय कुटुम्बी दत्तक–ग्रहण के मामलों में जारी किए गए पूर्व–अनुमोदन पत्र (जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक प्रभावी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी किए गए पत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	दिल्ली	02
3.	गुजरात	01
4.	महाराष्ट्र	45
5.	तमिलनाडु	01
6.	उत्तर प्रदेश	01
	कुल	**51**

5.7 अंतरराष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण के ऐसे मामले जिनकी जांच की गई (2020–2021)

जांच और स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	445
जांच और अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	4

5.8 देशीय दत्तक–ग्रहण के लिए किए गए गृह अध्ययन के मामले (2020–2021)

वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान कुल 9263 गृह अध्ययन रिपोर्टें संचालित की गईं। इसमें ताजा गृह अध्ययन रिपोर्टों के साथ–साथ पुनः सत्यापित गृह अध्ययन रिपोर्टें शामिल हैं।

6
अध्याय

अनुलग्नक

परिशिष्ट–क : जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की राज्य–वार संख्याः

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत डीसीपीयू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	13
3	अरुणाचल प्रदेश	18
4	असम	30
5	बिहार	38
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	32
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव	3
9	दिल्ली	22
10	गोवा	2
11	गुजरात	33
12	हरियाणा	21
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	जम्मू एवं कश्मीर	22
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	34
17	केरल	14
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	52
20	महाराष्ट्र	35
21	मणिपुर	9
22	मेघालय	13
23	मिजोरम	11
24	नगालैंड	11
25	ओडिशा	30
26	पांडिचेरी	2
27	पंजाब	25
28	राजस्थान	33
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	32
31	तेलंगाना	34
32	त्रिपुरा	8
33	उत्तर प्रदेश	81
34	उत्तराखंड	6
35	पश्चिम बंगाल	30
कुल		**738**

(स्त्रोतः केयरिंग्स)

परिशिष्ट–ख : विशिष्ट दत्तक–ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की राज्य–वार संख्याः

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत एसएए की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2	आंध्र प्रदेश	14
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	20
5	बिहार	27
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	13
8	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव	1
9	दिल्ली	12
10	गोवा	2
11	गुजरात	16
12	हरियाणा	8
13	हिमाचल प्रदेश	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	0
15	झारखंड	12
16	कर्नाटक	34
17	केरल	18
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	35
20	महाराष्ट्र	56
21	मणिपुर	9
22	मेघालय	6
23	मिजोरम	6
24	नगालैंड	4
25	ओडिशा	33
26	पांडिचेरी	3
27	पंजाब	8
28	राजस्थान	35
29	सिक्किम	3
30	तमिलनाडु	24
31	तेलंगाना	12
32	त्रिपुरा	9
33	उत्तर प्रदेश	21
34	उत्तराखंड	7
35	पश्चिम बंगाल	30
कुल		**484**

(स्त्रोतः केयरिंग्स)

परिशिष्ट–ग : अधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण एजेंसियों (एएफएए) की देश–वार संख्या

क्र.सं.	देश का नाम	एएफएए की संख्या
1.	बेल्जियम	3
2.	कनाडा	3
3.	डेनमार्क	1
4.	इथियोपिया	1
5.	फिनलैंड	1
6.	फ्रांस	6
7.	हॉगकॉग	1
8.	आइसलैंड	1
9.	आयरलैंड	1
10.	इटली	10
11.	लक्समबर्ग	1
12.	माल्टा	4
13.	नीदरलैंड	1
14.	न्यूज़ीलैंड	2
15.	सिंगापुर	1
16.	दक्षिण अफ्रीका	1
17.	स्पेन	4
18.	स्वीडन	2
19.	स्विट्ज़रलैंड	1
20.	यू.के.	1
21.	संयुक्त अरब अमीरात	1
22.	अमेरीका	16
23.	नॉर्वे	2
	कुल	**65**

(स्त्रोतः केयरिंग्स)

परिशिष्ट–घ : कारा/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारको को जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों और एडवाइजरी की प्रतियां

राम मोहन मिश्र
सचिव
RAM MOHAN MISHRA
Secretary

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 001
Website : http://www.wcd.nic.in

अर्धशासकीय पत्र संख्या : सीडब्ल्यू–II/5/2020–सीडब्ल्यू–II **दिनांक : 30 अप्रैल, 2021**

प्रिय मुख्य सचिव,

आज देश मानव सभ्यता के हाल के इतिहास में सबसे गंभीर महामारियों में से एक से निपट रहा है। यद्यपि हम अपने सभी नागरिकों की रक्षा करने और इस महामारी को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं, मैं आपका ध्यान इन परिस्थितियों में बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उनके जोखिमों की रेंज में दैनिक दिनचर्या की क्षति और कोविड के कारण अपने प्रियजनों और माता–पिता को खोने से जुड़ा मानसिक तनाव शामिल है।

2. मंत्रालय ने पिछले साल कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करने बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी के लिए एडवाइजरी और दिशानिर्देश तथा बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए कोविड काल के दौरान सामना करने की रणनीतियां जारी की थी। हाल ही में दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सहायता से संवाद (कमजोर परिस्थितियों के शिकार और विपदाग्रस्त बच्चों के लिए सहायता, समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप) जो नीमहंस द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय पहल है, द्वारा बाल मनोविज्ञानी देखभाल और काउंसलिंग के लिए सहायता का विस्तार सभी हितधारकों तक किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि बाल देखरेख संस्थाओं सहित किशोर न्याय की संरचना में पहले से पंजीकृत बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। तथापि, कोविड के कारण हाल ही में अनाथ हुए बच्चों के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 (14) के तहत ऐसे बच्चों को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके माता–पिता या तिमारदार नहीं हैं। अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम इन बच्चों के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख के साथ सेवा वितरण संरचनाओं के एक सुरक्षित जाल को अधिदेशित करते हैं। यह ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।

4. मंत्रालय अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार संस्थानिक और गैर संस्थानिक देखरेख प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी चला रहा है। विपदाग्रस्त परिस्थितियों के शिकार बच्चों को आउटरीच और सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत चाइल्ड लाइन नामक एक 24ग7 हेल्पलाइन भी संचालित की जा रही है।

5. उपर्युक्त के आलोक में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनश्चित करने का निर्देश दें कि बाल संरक्षण सेवा नामक योजना के तहत वित्त पोषित सुविधाओं का लाभ उठाते समय अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाया जाता है।

Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23383586, 011-23386731 Fax : 011-23381495 E-mail : secy.wcd@nic.in

6. कृपया यह सुनश्चित किया जाए कि ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय (अधिनियम की धारा 31) शामिल नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में यात्रा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का प्रयोग किया जा सकता है जहां कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कारण वर्तमान परिस्थितियों में भौतिक यात्रा संभव नहीं है। बाल कल्याण समिति बच्चे की तात्कालिक आवश्यकता का पता लगाएगी और मामला दर मामला आधार पर बच्चे को तिमारदार के पास रहने देने या उसे संस्थागत या गैर संस्थागत देखरेख में रखने के संबंध में बच्चे के पुनर्वास के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगी (अधिनियम की धारा 37)। अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार बच्चों के परिवेश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और उनके हित की रक्षा करते हुए बच्चों को यथा संभव उनके पारिवारिक और सामुदायिक परिवेश में बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि बच्चे को किसी प्रकार की रिश्तेदारी देखरेख में बहाल किया जाता है, तो बाल कल्याण समिति नियमित आधार पर बच्चे के कल्याण पर नजर रखना जारी रखेगी। अधिनियम की धारा 74 के तहत प्रावधान के अनुसार बच्चे की पहचान की रक्षा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उसे अनुचित व्यथा का सामना न करना पड़े। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

7. ऐसे किसी बच्चे के बारे में सूचना को चाइल्ड लाइन (1098) के साथ साझा किया जा सकता है जिन्होंने अपने माता–पिता में से दोनों को खो दिया है। मामले की पुष्टि करने और कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड लाइन की स्थानीय इकाई बच्चे से संपर्क करेगी। चाइल्ड लाइन 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में मदद करेगी। चाइल्ड लाइन की स्थानीय इकाई आवश्यकता पड़ने पर बच्चे के कल्याण की निगरानी करने में बाल कल्याण समिति की मदद भी करेगी।

8. जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिला प्रशासन कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे के जीवन में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए तात्कालिक आधार पर सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। इस संबंध में सभी हितधारक एजेंसियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की सहायता की जाएगी जिसमें बच्चों के संरक्षण के लिए काम करने वाली एजेंसियां अर्थात स्थानीय पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन की स्थानीय इकाई, बाल कल्याण समिति आदि शामिल हैं।

9. जिला मजिस्ट्रेटों से ऐसे बच्चों के संबंध में उठाए गए कदमों की दैनिक आधार पर समीक्षा करने और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इन बच्चों के स्टेटस की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में मंत्रालय को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

10. इस मामले में आवधिक समीक्षा के साथ आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर उचित पुनर्वास सुनश्चित करने में बहुत उपयोगी होगा।

सादर,

आपका,

हस्ता/–

(राम मोहन मिश्रा)

राज्यों के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

Fax No. : 23381495
Fax No. : 23381800
Fax No. : 23381654
Website : www.wcd.nic.in

Aastha S. Khatwani
Joint Secretary
Tele:011-23382071/23388576

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001, दिनांक
Shastri Bhawan, New Delhi-110 001, Dated

अर्धशासकीय पत्र संख्या : सीडब्ल्यू–II/30/8/2021–सीडब्ल्यू–II

दिनांक : 4 मई, 2021

प्रिय महोदय/महोदया,

मंत्रालय की जानकारी में आया है कि कोविड के कारण माता–पिता के अस्पताल में भर्ती हो जाने या संक्रमित हो जाने की स्थिति में अनेक बच्चों को गंभीर तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने इस महामारी की वजह से अपने माता–पिता को खो दिया है। चूंकि कोविड एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए अक्सर सामुदायिक सहायता पर रोक लग जाती है जिससे बच्चे बहुत असुरक्षित हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में किशोर न्याय अधिनियम की संरचना के तहत इन बच्चों को तत्काल सहायता और पुनर्वास प्रदान करना जरूरी है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा आपके राज्य के मुख्य सचिव को दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को एक पत्र लिखा गया है जिसमें जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और बाल संरक्षण सेवा के तहत सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

2. वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान महिलाओं और बच्चों की स्थिति और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए 30 अप्रैल, 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। पता चला है कि कुछ राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश) ऐसे बच्चों को कुछ दिनों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बाल देखरेख संस्था (सीसीआई) या फिट फेसिलिटी को नामित किया है जिनके माता–पिता कोविड से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। यह एक अच्छी पहल है तथा ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी है जिनके माता–पिता अस्थायी तौर पर उनकी देखरेख करने में असमर्थ हैं। अतः अनुरोध है कि जब कोविड के कारण उनके माता–पिता अस्पताल में भर्ती हों, तो अंतरिम अवधि के लिए बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीसीआई को चिह्नित किया जाए।

3. जिले के सभी अस्पतालों और कोविड देखभाल सुविधाओं को इस व्यवस्था के संबंध में सूचित किया जाए। माता–पिता की बीमारी के दौरान बच्चों की सहायता के लिए अस्पताल या कोविड देखरेख सुविधा के स्वागत कक्ष में बाल कल्याण समिति के सदस्यों, नामित बाल देखरेख संस्थाओं के संपर्क विवरण और चाइल्ड लाइन नंबर (1098) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। अस्पताल का स्वागत कक्ष बच्चों को ऐसी बाल देखरेख संस्थाओं में भेजने के लिए माता–पिता का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्हें बाल कल्याण समिति या चाइल्ड लाइन के बारे में भी सूचित किया जा सकता है, यदि किसी रोगी के बच्चों को कठिनाई का सामना करते हुए पाया जाता है। जिला प्रशासन से अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी 1098 तथा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के नंबरों का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कहा जा सकता है।

4. आप ऐसे बच्चों के मामले में उठाए गए विधिसम्मत कदम के संबंध में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय भाषा में सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर भी विचार कर सकते हैं, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता–पिता को खो दिया है और उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं बचा है।

5. इस मामले में आपका व्यक्तिगत हस्तक्षेप और निगरानी कोविड महामारी के दौरान बच्चों के सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय करने में काफी उपयोगी होगी।

सादर,

भवदीय,

हस्ता/–

(आस्था एस खटवानी)

अपर सीएस/प्रधान सचिव/सचिव
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास/
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

वर्ष 2021–22 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा

7 अध्याय

वर्ष 2021–22 हेतु (31 मार्च, 2022 को समाप्त)
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
नई दिल्ली
के लेखा परीक्षित खातों के
संबंध में सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

पत्र संख्याः **AMG-V/4-14/SAR/CARA/2022-23/** दिनांकः

सेवा में,

डायरी नं. 1119A Dy. No. / दिनांक 1-11-2022 / Date
केन्द्रीय–दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing 2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

सचिव, भारत सरकार,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : **केन्द्रीय दत्तक –ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**, नई दिल्ली के **वर्ष 2021-22** के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**, नई दिल्ली के **वर्ष** 2021-22 के प्रमाणित **वार्षिक** लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर **रहा** हूँ ।

यह प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाए, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124 को **प्रेषित की जाये।**

कृपया यह सुनिश्चित **करें** कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले **वार्षिक** लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि **वर्ष 2021-22** के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व **वर्षो** के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अग्रेंजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

Accounts Officer
Sports

ह०/-

निदेशक (ए.एम.जी.-V)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

पत्र संख्याः **AMG-V/4-14/SAR/CARA/2022-23/** 505 दिनांकः

प्रतिः

सुश्री तृप्ति गुरहा, सचिव, केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, पश्चिमी खंड -8, विंग-2, द्वितीय तल, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली-**110066**, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र **तथा** प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु **अग्रेषित** की जा **रही** है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **के** हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद **में** प्रस्तुत किए जाए, दर्शाते हुए इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः यथोपरि

दत्तप्रसाद शिरसाट
20.10.22

निदेशक (ए.एम.जी.-V)

पत्र संख्याः **AMG-V/4-14/SAR/CARA/2022-23/** दिनांकः

प्रतिः

प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-**दीन दयाल उपाध्याय** मार्ग, **नई दिल्ली-110124** को **वार्षिक** लेखे की प्रति, **उसका** पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **अग्रेषित** की जा **रही** है ।

यह **महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय)** के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

ह0/-

निदेशक (ए.एम.जी.-V)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 73 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1970 की धारा 19 (2) के तहत 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कारा की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखांकन की सर्वोत्तम प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटन के मानदंडों आदि के साथ अनुरूपता, वर्गीकरण के संबंध में लेखांकन पद्धति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व और विनियामक) के अनुपालन और दक्षता सह निष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्टों / सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में लेखांकन के सामान्य तौर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच शामिल होती है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के सिद्धांतों और व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं स्पष्टीकरण और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में निपटाए गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में कारा द्वारा लेखा की उचित बहियों तथा अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि :

क. सामान्य

क.1 गैर सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के निवेश के लिए 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार धनराशि के 45 प्रतिशत तक का निवेश बैंकों की मियादी जमा प्राप्तियों में किया जा सकता है। कारा ने सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स्ड डिपॉजिट में उपदान और छुट्टी वेतन के 254–15 लाख रुपये की संपूर्ण संचित निधियों का निवेश किया, जो वित्त मंत्रालय

द्वारा निर्धारित पैटर्न से असंगत था। कारा ने अक्टूबर 2022 में आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि 2022–23 के दौरान पूरी हो जाएगी।

क. 2 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार 11–13 करोड़ रुपये के अग्रिम बकाया थे (अनुसूची 11), जिसमें से 10–96 करोड़ रुपये 2008–09 से 2021–22 तक बकाया हैं। इस मुद्दे को पिछले वर्ष की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी उठाया गया था। बकाया अग्रिमों के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

ख. सहायता अनुदान

कारा ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 2021–22 के दौरान 658–00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया। इसमें से 80 लाख रुपये मार्च 2022 के महीने में प्राप्त किए गए। इसके पास पिछले वर्ष के सहायता अनुदान से 44–34 लाख रुपये का अव्ययित शेष था (जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सीएफआई को लौटाया गया)। इसकी आंतरिक प्राप्ति 10–55 लाख रुपये थी। कारा ने कुल 668–55 लाख रुपये में से 642–71 लाख रुपये का उपयोग किया और इस प्रकार 25–84 लाख रुपये का अव्ययित अनुदान था।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन विसंगतियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनको उपचारी / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए प्रबंधन पत्र के माध्यम से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली की जानकारी में लाया गया है।

(v) पिछले पैराग्राफों में अपनी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में लेखांकन के सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के साथ अनुरूपता में निम्नलिखित के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली के कार्यों के तुलन पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सरप्लस के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

लेखा परीक्षा महानिदेशक (सीई)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ / विभाग का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक आंतरिक लेखा परीक्षा की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा संचालित की जा रही है जिन्होंने 2021–22 तक लेखा परीक्षा संचालित की है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

- कारा में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ नहीं है।
- लंबे समय से अग्रिमों का समायोजन नहीं हुआ है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 (4) के अनुसार संचालन समिति की बैठक माह में एक बार होनी चाहिए। तथापि, 2021–22 के दौरान संचालन समिति की दो बैठकें हुई थीं।

3. **अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31 मार्च, 2022 तक किया गया है।

4. **इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

इनवेंटरी जैसे कि पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है तथा लेखन सामग्री एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 3 सितंबर, 2020 तक किया गया है।

5. **देय राशियों के भुगतान में नियमितता**

वार्षिक लेखा के अनुसार वैधानिक देय राशियों के संबंध में कोई भी भुगतान 6 माह से अधिक समय तक बकाया नहीं है।

हस्ता/–

निदेशक (एएमजी–V)

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण

पश्चिमी ब्लॉक–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत),
दूरभाष 91–011–26180196, टोल फ्रीः 1800–11–1311, टेलीफैक्सः 91–011–26180198

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	2021-2022	2020-21
कॉरपस/ पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
पूंजीगत निधि	1	11,76,51,343.00	11,21,82,470.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3	-	-
प्रतिभूति ऋण और उधारियां	4	-	-
अप्रतिभूति ऋण और उधारियां	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	2,68,05,687.00	2,99,75,570.00
व्यय से अधिक आय			
कुल		**14,44,57,030.00**	**14,21,58,040.00**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	51,85,754.00	53,15,650.00
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	2,54,15,496.00	2,41,35,400.00
चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	11,38,55,780.00	11,27,06,990.00
विविध व्यय (उस सीमा तक, जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)			
कुल		**14,44,57,030.00**	**14,21,58,040.00**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006 **2**

01/04/2021 से 31/03/2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	2021-22	2020-21
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	6,27,84,863.00	6,96,08,826.00
फीस/अभिदान	14	-	50,000.00
निवेश से आय (निधियों में अंतरित निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	15,43,908.00	16,62,145.00
अन्य आय	18	1,79,948.00	3,87,717.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		**6,45,08,719.00**	**7,17,08,688.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	3,46,60,458.00	3,31,89,443.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	2,55,21,397.00	5,09,42,098.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	11,29,896.00	12,61,152.00
कुल (ख)		**6,13,11,751.00**	**8,53,92,693.00**
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)		**31,96,968.00**	**(1,36,84,005.00)**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित से/में अंतरण			
शेष राशि अधिशेष/(कमी) पूंजीगत निधि से वहन किया जाना		**31,96,968.00**	**(1,36,84,005.00)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	25		

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां			भुगतान		
विवरण	2021-22	2020-21	विवरण	2021-22	2020-21
(I) प्रारंभिक शेष:			**(I) व्यय:**		
क) हाथ में नकद राशि	588	19,370	क) स्थापना व्यय	3,26,49,824	32108906
ख) बैंक में शेष राशि			ख) प्रशासनिक व्यय (अप्रत्यक्ष व्यय)	2,11,09,522	33501746
(I) बचत खाता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	33,86,818	66,01,556	ग) विगत वर्ष के प्रावधानों के सापेक्ष भुगतान		-
(ii) बचत खाते केनरा बैंक	10,46,163	38,16,827			
		-	**(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के सापेक्ष किए गए भुगतान:**		
			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान		
			के विवरण के साथ		
			निधि या परियोजना का नाम दर्शाया		
(II) अग्रिम का समायोजन	5,50,339	20,26,968	जाना चाहिए)		
			(III) अग्रिमों का समायोजन		1,04,95,086
			लौटाई गई अव्ययित शेष राशि	44,33,569	
(III) अनुदान: प्राप्तियां			टीडीएस जीएसटी	3,467	
क) भारत सरकार की ओर से:-			**(IV) किए गए निवेश और जमा:**		
i) राजस्व व्यय	6,48,00,000	7,40,42,395	क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से		
ii) पूंजीगत व्यय	10,00,000	12,06,605	ख) स्वंय की निधियों में से (निवेश-अन्य)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्त्रोतों से (जुर्माना)			**(V) अचल परिसंपत्तियों और**		
अलग से दिखाया जाए			**पूंजीगत कार्य - प्रगति पर के संबंध में व्यय:**		
			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	10,00,000	12,06,605
(IV) निवेश पर आय से :			ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के संबंध में व्यय		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि		-			
ख) स्वामित्व निधियां (अन्य निवेश)			(VI) ऋण और अग्रिम:		
			क) भारत सरकार को		
(V) ब्याज प्राप्तियां:			ख) राज्य सरकार को	7,64,117	
क) बैंक में जमा			ग) एनआईसीएसआई	72,86,000	35,00,000
			घ) कर्मचारी		27,58,300
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ङ) अन्य (केंद्रीय भंडार)		540
ग) बचत खाता	2,26,902	3,91,836	**(VII) वित्त प्रभार (ब्याज):**		
घ) निवेश और अन्य से ब्याज	2,063	3,000			
		-			
(VI) अन्य आय (उल्लिखित):			**(VIII) अन्य भुगतान (विशेष)**		
विविध प्राप्तियां	22,496	51,564	प्रतिभूति जमा राशि	14,58,622	4,13,950
एफएससी	1,57,003	2,07,885			
अन्य आय (ईपीएफ)		-	**(XI) अंत शेष:**		
आरटीआई के विरूद्ध प्राप्तियां	449	696	क) हाथ में नकद राशि	2,380	588
फीस और जुर्माना		50,000	ख) बैंक में शेष राशि		
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट		-	(i) बचत खाता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5,43,038	33,86,818
		-	(ii) बचत खाता, केनरा बैंक	20,38,355	10,46,163
(VII) उधार ली गई राशि:		-			
		-			
(VIII) अन्य प्राप्तियां		-			
(विवरण दें):		-			
जमा प्रतिभूति	96,073	-			
कुल	**7,12,88,894**	**8,84,18,702**	कुल	**7,12,88,894**	**8,84,18,702**

हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

4

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि	-	-
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	11,21,82,470.00	12,46,49,570.00
जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अंशदान	-	-
	11,21,82,470.00	12,46,49,570.00
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजीगत निधि में अंशदान	10,00,000.00	12,06,605.00
जोड़ें: छुट्टी वेतन के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण समायोजन	12,71,905.00	10,300.00
जोड़े/(घटाएं) : आई एंड ई से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	31,96,968.00	(1,36,84,005.00)
घटाएं: प्रारंभिक शेष	-शून्य-	-शून्य-
आय और व्यय खाता	-शून्य-	-शून्य-
घटाएं: आरक्षिती और अधिशेष में अंतरण	-शून्य-	-शून्य-
वर्ष की समाप्ति पर अंत–शेष	**11,76,51,343.00**	**11,21,82,470.00**
	-शून्य-	-शून्य-
अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष :	-शून्य-	-शून्य-
1. पूंजीगत आरक्षित	-शून्य-	-शून्य-
पिछले लेखा के अनुसार	-शून्य-	-शून्य-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-शून्य-	-शून्य-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-शून्य-	-शून्य-
	-शून्य-	-शून्य-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:	-शून्य-	-शून्य-
पिछले लेखा के अनुसार	-शून्य-	-शून्य-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-शून्य-	-शून्य-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-शून्य-	-शून्य-
-	-शून्य-	-शून्य-
3. विशेष आरक्षित:	-शून्य-	-शून्य-
पिछले लेखा के अनुसार	-शून्य-	-शून्य-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-शून्य-	-शून्य-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-शून्य-	-शून्य-
	-शून्य-	-शून्य-
4. सामान्य आरक्षित:	-शून्य-	-शून्य-
पिछले लेखा के अनुसार	-शून्य-	-शून्य-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-शून्य-	-शून्य-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-शून्य-	-शून्य-
कुल	-	-

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर्.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

5

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021–22	2020–21
अनुसूची 3–उद्दिष्ट/अक्षय निधि		
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	– शून्य–	– शून्य–
ख) निधियों में वृद्धि :	– शून्य–	– शून्य–
(i) अनुदान (गैर–योजना):	– शून्य–	– शून्य–
क) राजस्व व्यय	– शून्य–	– शून्य–
ख) पूंजीगत व्यय	– शून्य–	– शून्य–
(ii) निधियों के सापेक्ष किए गए निवेश से आय	– शून्य–	– शून्य–
(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें):	– शून्य–	– शून्य–
अंतर्राष्ट्रीय बैठक पंजीकरण शुल्क	– शून्य–	– शून्य–
कुल (क+ख)	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोगिता/व्यय		
(i) पूंजीगत व्यय	– शून्य–	– शून्य–
* अचल परिसंपत्तियां	– शून्य–	– शून्य–
* अन्य	– शून्य–	– शून्य–
(ii) राजस्व व्यय		
* वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	– शून्य–	– शून्य–
* किराया	– शून्य–	– शून्य–
* अन्य प्रशासनिक व्यय	– शून्य–	– शून्य–
अंतर्राष्ट्रीय बैठक व्यय		
कुल (ग)	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	-	-
टिप्पणियाँ : 1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के तहत प्रकटन किया जाएगा 2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना है और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित रूप में नहीं दर्शाया जाना है।		

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

6

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारियां:		
1. केंद्र सरकार	- शून्य-	- शून्य-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
3. वित्तीय संस्थाएं	- शून्य-	- शून्य-
क) सावधि ऋण	- शून्य-	- शून्य-
ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	- शून्य-	- शून्य-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण	- शून्य-	- शून्य-
– प्रोद्भूत और देय ब्याज	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
– प्रोद्भूत और देय ब्याज	- शून्य-	- शून्य-
	- शून्य-	- शून्य-
5. अन्य संस्थाए और एजेंसियां	- शून्य-	- शून्य-
6. डिबेंचर और बांड	- शून्य-	- शून्य-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	- शून्य-	- शून्य-

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारियां:		
1. केंद्र सरकार	- शून्य-	- शून्य-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
3. वित्तीय संस्था	- शून्य-	- शून्य-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण	- शून्य-	- शून्य-
ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	- शून्य-	- शून्य-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	- शून्य-	- शून्य-
6. डिबेंचर और बांड	- शून्य-	- शून्य-
7. सावधि जमा	- शून्य-	- शून्य-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	**-**	**-**
अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं:		
क) पूंजी उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य	- शून्य-	- शून्य-
कुल	**-**	**-**

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)	(डॉ. जगन्नाथ पति)	(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
लेखा अधिकारी (कारा)	निदेशक, कार्यक्रम (कारा)	सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार	भारत सरकार	भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

8

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 7–चालू देयताएं और प्रावधान		
क. चालू देयताएं		
अव्ययित सहायता अनुदान	20,15,137.00	44,33,569.00
व्यय के लिए प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	5,68,636.00	-
ईपीएफ संगठन		-
प्रतिभूति जमा	96,073.00	14,58,622.00
टीडीएस संविदाकार		
टीडीएस वृत्तिक/वेतन		
जीएसटी पर टीडीएस	-	3,467.00
कर्मचारी खाता बीके साहू		-
कर्मचारी खाता डॉ जे पति		-
संदेय प्रशिक्षण व्यय (एमएससीपीएस)	30,982.00	30,982.00
कर्मचारी खाता वीरेंद्र कुमार मिश्रा	15,376.00	15,376.00
भुगतान एवं लेखा अधिकारी, एजीएमपी, ग्वालियार	1,31,038.00	1,31,038.00
कुल क	**28,57,242.00**	**60,73,054.00**
ख प्रावधानः		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	1,45,32,347.00	1,32,14,513.00
3. सेवानिवृत्त/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण	94,16,098.00	1,06,88,003.00
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय के लिए प्रावधान (अनुलग्नक घ)		
व्यय के लिए प्रावधान		
कुल ख	**2,39,48,445.00**	**2,39,02,516.00**
कुल (क+ख)	**2,68,05,687.00**	**2,99,75,570.00**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31.3.2022 को अचल परिसंपत्ति अनुसूची

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्ति : विवरण, अनुलग्नक-क के अनुसार

राशि रूपये में

विवरण	वर्ष की शुरूआत में लागत/ मूल्यांकन	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
		वर्ष की शुरूआत में ह्रासित मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में ह्रासित मूल्य	वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	अब ह्रासित किया गया पिछले वर्ष में प्रभारित अधिक मूल्यह्रास	वर्ष की समाप्ति तक कुल	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क. अचल परिसंपत्ति :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवनः		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि जो संस्था के स्वामित्व में नहीं है पर सुपरस्ट्रक्चर ,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर (10%)	49,70,887	21,96,351	3,30,811	-	25,27,162	27,74,536	2,36,178	-	-	30,10,714	22,90,984	21,96,351
6. कार्यालय उपकरण (15%)	35,26,603	14,82,197	2,01,758	-	16,83,955	20,32,832	2,39,023	-	-	22,71,855	14,44,932	14,82,197
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल्स (40%)	70,08,626	12,84,757	4,67,431	-	17,52,188	57,23,869	5,13,906	-	-	62,37,775	12,38,282	12,84,757
8. विद्युत प्रतिष्ठान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ट्यूबवेल और जलापूर्ति		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल परिसंपत्तियां (पुस्तकालय)	45,521	374	-	-	374	-	-	-	-	-	374	374
11. कार्यक्रम परिसंपत्तियां	6,33,795	3,51,971	-	-	3,51,971	2,81,824	1,40,789	-	-	4,22,613	2,11,182	3,51,971
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,61,85,432**	**53,15,650**	**10,00,000**	**-**	**63,15,650**	**1,08,13,061**	**11,29,896**	**-**	**-**	**1,19,42,957**	**51,85,754**	**53,15,650**
ख. पूंजीगत कार्य-प्रगति पर											-	
कुल योग	**1,61,85,432**	**53,15,650**	**10,00,000**	**-**	**63,15,650**	**1,08,13,061**	**11,29,896**	**-**	**-**	**1,19,42,957**	**51,85,754**	**53,15,650**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

10

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेशः	**-**	**-**
	-	-
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
अनुसूची 10 – निवेश – अन्यः	**-**	**-**
	-	-
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
उपार्जित किंतु अप्राप्त ब्याज		
सावधि जमा (केनरा बैंक/यूबीआई के साथ)	2,54,15,496.00	2,41,35,400.00
कुल	**2,54,15,496.00**	**2,41,35,400.00**

हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

11

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 11 – चालू , परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि		
क. चालू संपत्ति :		
1. इन्वेंटरी :		
क) स्टोर और स्पेयर्स	-	-
ख) खुले यंत्र	-	-
ग) व्यापाराधीन स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. फुटकर देनदारः		
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित):	2,380.00	588.00
4. बैंक में शेष राशिः		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)		
* बचत खातों पर	25,81,393.00	44,32,981.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ :		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर		
* बचत खातों पर		
कुल		
5. डाकघर–बचत खाते		
कुल	**25,83,773.00**	**44,33,569.00**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

		12
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण :		
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')	15,73,500.00	27,63,300.00
ख) संस्था के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए अग्रिम और अन्य राशियाँ		
क) पूंजी खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्यः		
प्रशिक्षण और जागरूकता –अनुलग्नक 'ख' के अनुसार	55,57,087.00	4848737.00
एनआईसी	38,26,136.00	3826136.00
सी.पी.डब्लु. डी.	82,80,626.00	8280626.00
डीएवीपी	7,25,12,770.00	72512770.00
घ) डाक अग्रिम	39,431.00	39431.00
एनआईसीएसआई	72,86,151.00	3823151.00
डीजीएस एंड डी	63,459.00	63459.00
संपदा निदेशालय	8,000.00	8000.00
श्रीमती उषा मल्होत्रा	25,000.00	25000.00
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन	1,20,65,000.00	12065000.00
केन्द्रीय भंडार	-	540.00
3. उपार्जित आय :		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश पर – अन्य (एफडीआर)		
ग) ऋण और अग्रिम पर		
घ) अन्य (बैंक से प्राप्य ब्याज)	34,847.00	17271.00
प्राप्य सहायता अनुदान		
4. प्राप्य दावे :		
कुल (ख)	**11,12,72,007.00**	**10,82,73,421.00**
कुल (क+ख)	**11,38,55,780.00**	**11,27,06,990.00**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय :	-	
1) बिक्री से आय	- शून्य-	- शून्य-
क) तैयार माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
ख) कच्चे माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
ग) स्क्रैप की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	- शून्य-	- शून्य-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	- शून्य-	- शून्य-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	- शून्य-	- शून्य-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	- शून्य-	- शून्य-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी :		-
(प्राप्त हुए अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सब्सिडी)		
जोड़ें: – अव्ययित अनुदान	44,33,569	1,04,37,753
1) केंद्र सरकार	6,58,00,000	7,52,49,000
घटाएं:– 31/03/2022 को अव्ययित अनुदान	20,15,137	44,33,569
घटाएं:– पूंजीगत निधि में अंतरित राशि	10,00,000	12,06,605
2) राज्य सरकार (रो)		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) भारत की समेकित निधि में अन्य (विनिर्दिष्ट करें) अंतरण	44,33,569	1,04,37,753
कुल	**6,27,84,863**	**6,96,08,826**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	**2021-22**	**2020-21**
अनुसूची 14 – फीस/अभिदान/जुर्माना		
1. प्रवेश शुल्क	0	0.00
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	0	0.00
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	0	0.00
4. परामर्शदात्री शुल्क	0	0.00
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0.00
6. जुर्माना	0	50,000
कुल	**-**	**50,000**
टिप्पणः प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया जाना है।		

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

16

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण		निर्धारित निधि से निवेश	
		2021–22	2020–21
अनुसूची 15 – निवेश से आय			
निधियों में अंतरित निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय)			
1. ब्याज		- शून्य-	- शून्य-
क) सरकारी प्रतिभूति पर		- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर		- शून्य-	- शून्य-
2. लाभांशः		- शून्य-	- शून्य-
क) शेयरों पर		- शून्य-	- शून्य-
बी) म्यूचुअल फंड प्रतिभूति पर		- शून्य-	- शून्य-
3. किराया		- शून्य-	- शून्य-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)		- शून्य-	- शून्य-
कुल		**-**	**-**
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में अंतरित			

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021–22	2020–21
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आयः		
1) रॉयल्टी से आय	- शून्य-	- शून्य-
2) प्रकाशनों से आय	- शून्य-	- शून्य-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

18

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज :		
1) सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1280096.00	1250038.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		0.00
ग) संस्थानों के साथ		0.00
घ) अन्य		0.00
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	261749.00	405244.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		0.00
ग) संस्थानों के साथ		0.00
घ) अन्य		0.00
3) ऋण पर :		
क) कर्मचारी / स्टाफ	2063.00	6,863.00
ख) अन्य		0.00
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		0.00
कुल	**15,43,908.00**	**16,62,145.00**

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती दर्शाई जाए

हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 18 – अन्य आय :		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	0	0
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्ति	0	0
ख) अनुदान से अधिग्रहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्ति	0	0
2) प्राप्त हुआ निर्यात प्रोत्साहन	0	0
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	0	0
4) विविध आय	22496	1,79,136
पुराने अखबारों और पत्रिकाओं की बिक्री		0
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा छूट		0
आरटीआई शुल्क	449	696
प्राप्त हुआ विदेशी अंशदान		0
अंतर्राष्ट्रीय बैठक (शुल्क खाता)		0
प्राप्त एफएससी (अवकाश वेतन) खाता	157003	2,07,885
कुल	**1,79,948**	**3,87,717**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

20

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनूसूची 19 – तैयार माल और प्रगति पर कार्य में वृद्धि/(कमी)		
क) अंतिम स्टॉक	- शून्य-	- शून्य-
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर कार्य	- शून्य-	- शून्य-
ख) कमी : प्रारंभिक स्टॉक		
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर कार्य	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय :		
क) वेतन और मजदूरी	2,47,32,999	2,29,51,255
ग) भत्ते, बोनस और मानदेय	90,000	5,000
घ) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	9,01,000	5,94,000
ङ) छुट्टी वेतन भुगतान	18,10,289	17,78,374
च) ग्रेच्युटी का भुगतान	67,091	9,21,902
छ) चिकित्सा व्यय	23,31,950	23,10,272
ज) एलटीसी व्यय	57,903	7,56,294
झ) पीएफ में नियोक्ता का अंशदान	21,81,511	17,04,070
ञ) ईडीएलआई (पीएफ)	14,175	14,400
ट) ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क	67,432	63,415
ठ) एफएससी	10,83,274	10,62,919
ढ) ग्रेच्युटी संबंधी प्रावधान	13,17,834	6,53,964
ण) अवकाश वेतन संबंधी प्रावधान	-	3,58,578
त) स्टाफ यूनिफॉर्म प्रभार	5,000	15,000
कुल (क+ख)	**3,46,60,458**	**3,31,89,443**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय :		
विज्ञापन और प्रचार	-	28,03,083
लेखा परीक्षा शुल्क	5,08,840	1,33,440
बैंक प्रभार	2,162	768
केयरिंग व्यय	67,40,821	1,30,20,032
कंप्यूटर नेटवर्किंग और एसेसरीज	27,031	24,813
परामर्श सेवा प्रभार	86,02,865	2,20,38,651
परिवहन व्यय	33,681	7,288
हिंदी पखवाड़ा संबंधी व्यय	30,835	-
आतिथ्य	85,959	74,735
निरीक्षण और मुद्रीकरण व्यय	89,505	29,192
शिक्षुता व्यय	9,62,676	26,333
बैठक व्यय	33,605	38,848
समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	84,302	60,150
कार्यालय व्यय	54,059	17,996
डाक और तार प्रभार	1,48,169	1,46,897
मुद्रण व्यय	3,29,425	19,167
वृत्तिक एवं विधिक प्रभार	1,95,432	1,40,078
भर्ती और प्रशिक्षण संबंधी व्यय	6,342	-
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	3,91,004	2,25,144
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत और अनुरक्षण	16,405	29,138
कार्यालय उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण	1,44,251	1,31,338
सुरक्षा और सफाई व्यय	29,24,317	27,56,195
बैठक शुल्क खाता	-	47,700
स्टेशनरी व्यय	5,25,560	7,01,140
टेलीफोन प्रभार	6,89,641	7,45,376
टोल फ्री हेल्पलाइन व्यय	64,752	66,229
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम व्यय	4,47,782	47,11,417
यात्रा व्यय	3,35,801	4,50,550
वाहन (कार) किराया	9,43,165	11,39,580
जल और विद्युत प्रभार	69,450	76,872
एनईआर व्यय	3,96,083	4,44,564
आकस्मिकता (विविध व्यय) खाता	2,33,477	1,79,384
एनओसी समिति के सदस्यों को मानदेय खाता	4,04,000	6,56,000
कुल योग	**2,55,21,397**	**5,09,42,098**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	2021-22	2020-21
अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्ययः		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	- शून्य-	- शून्य-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-
नोटः संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ अनुदान/सब्सिडी की राशि का प्रकटन किया जाना है।		
अनुसूची 23 – ब्याजः		
क) नियत परः पीएएमएस	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	- शून्य-	- शून्य-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

हस्ता./-
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./-
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची– 24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / लेखा तैयार करने का आधारः

1. **लेखांकन रीति :**
   वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन आधार से तैयार किए गए हैं।

2. **इन्वेंट्री मूल्यांकनः**
   स्टोर और स्पेयर्स को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. **निवेश :**
   "दीर्घकालिक निवेशों' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत पर वहन किया गया है।

4. **अचल परिसंपत्तियां :**
   4.1 अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण से संबंधित आवक माल–भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा प्रासंगिक और प्रत्यक्ष व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर व्यक्त किया गया है।
   4.2 गैर–आवर्ती अनुदान के माध्यम से अधिगृहित अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि में संगत क्रेडिट द्वारा व्यक्त किए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया गया है।

5. **मूल्यह्रास :**
   5.1 मूल्यह्रास का प्रावधान, नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार, दिनांक 01.04.2018 से आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, डब्ल्यूडीवी विधि के आधार पर किया गया है।

   क. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी के संबंध में, मूल्यह्रास पर नियमानुसार विचार किया गया है।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)	(डॉ. जगन्नाथ पति)	(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
लेखा अधिकारी (कारा)	निदेशक, कार्यक्रम (कारा)	सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार	भारत सरकार	भारत सरकार

ख. 5,000/– या इससे कम रूपए की लागत वाली प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ग. अचल परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को कुल लागत के 5 प्रतिशत की दर पर लिया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सहायिकी :

6.1 सरकारी अनुदान / सब्सिडी को प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है।

6.2 केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पूंजीगत व्यय के लिए विशेष अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए, पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई राशि, जिसे अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, को पूंजीगत निधि के तहत दर्शाया गया है।

6. पट्टा :

पट्टे के किराये को पट्टे की शर्तों के संदर्भ में व्यय किया गया है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ :

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के संबंध में संदेय उपदान के लिए प्रावधान को बीमांकिक गणना के आधार पर प्रोद्भूत और परिकलित किया गया है।

8.2 कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण हितलाभ के लिए प्रावधान को बीमांकिक गणना के आधार पर प्रोद्भूत और परिकलित किया गया है।

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची – 25

आकसमिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।

2. संचालन समिति की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।

3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

4. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं ।

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2; द्वितीय तल, आर्.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

27

2021–22 अनुबंध–क

विवरण / 1.4.2018 से डब्ल्यूडीवी पर आयकर अधिनियम के अनुसार	सकल ब्लॉक मात्रा	मूल लागत/खरीद मूल्य	वर्ष की शुरूआत में ह्रासित मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन मात्रा	वर्ष के दौरान परिवर्धन राशि	वर्ष के दौरान कटौती राशि	कुल मात्रा	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन राशि	मूल्यह्रास वर्ष की शुरूआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	कुल वर्ष की समाप्ति पर कुल मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक चालू वर्ष की समाप्ति पर मूल्य	कुल विगत वर्ष की समाप्ति पर मूल्य	अभ्युक्तियां
क. फर्नीचर और फिक्सचर : (10%)														
31–3–2013 तक (विवरण संलग्न)	1	3251249	1394602	0	0	0	1	1394602	1856647	139460	1996107	1255142	1394602	
वोल्टास स्प्लिट एसी 2 टन (29/10/14)	1	43500	21837	0	0	0	1	21837	21663	2184	23847	19653	21837	
स्टील हाई बैक चेयर 27/11/14	1	13000	6526	0	0	0	1	6526	6474	653	7127	5873	6526	
स्टील विजिटर चेयर (27/11/14)	4	28000	14056	0	0	0	4	14056	13944	1406	15350	12650	14056	
वूडन एग्जीक्यूटिव टेबल ब्लैक 27/11/14	1	34000	17068	0	0	0	1	17068	16932	1707	18639	15361	17068	
वूडेन सेंटर टेबल ग्लास टॉप 27/11/14	1	5600	2811	0	0	0	1	2811	2789	281	3070	2530	2811	
वूडेन कंप्यूटर टेबल ग्लास टॉप 27/11/14	2	9000	4518	0	0	0	2	4518	4482	452	4934	4066	4518	
स्टैंड के साथ व्हाइट बोर्ड 12/6/2015	1	7788	4059	0	0	0	1	4059	3729	406	4135	3653	4059	
रिसेप्शन टेबल (7X2–3''–6'') 3/12/2015	1	37000	20993	0	0	0	1	20993	16007	2099	18106	18894	20993	
रिवोल्विंग चेयर 3/12/15	1	6650	3772	0	0	0	1	3772	2878	377	3255	3395	3772	
स्टेबलाइजर के साथ वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर 1.5 टन 21.9.16	2	79700	49821	0	0	0	2	49821	29879	4982	34861	44839	49821	
ऑफिस टेबल 48'X30' (28.2.17)	3	29700	19423	0	0	0	3	19423	10277	1942	12219	17481	19423	
ऑफिस टेबल 60'X30'X30' (28.2.17)	2	23160	15146	0	0	0	2	15146	8014	1515	9529	13631	15146	
एग्जीक्यूटिव हाई बैक चेयर (जेवी) 1.11.16	1	6075	3833	0	0	0	1	3833	2242	383	2625	3450	3833	
विजिटर्स चेयर 1.11.16 (जेवी)	8	26100	951	0	0	0	8	951	25149	95	25244	856	951	
फाइव सीटर सोफा सेट 111.16 (जेवी)	1	19125	12065	0	0	0	1	12065	7060	1207	8267	10858	12065	
एग्जीक्यूटिव टेबल 1.11.16 (जेवी)	1	18000	11355	0	0	0	1	11355	6645	1136	7781	10219	11355	
विजिटर्स चेयर 16.12.16	12	30900	19494	0	0	0	12	19494	11406	1949	13355	17545	19494	
कॉर्नर टेबल 9.1.17 (जेवी)	2	6300	4046	0	0	0	2	4046	2254	405	2659	3641	4046	
सेंट्रल टेबल 9.1.17 (जेवी)	1	7312	4697	0	0	0	1	4697	2615	470	3085	4227	4697	
विजिटर्स चेयर 161.17	16	78700	50559	0	0	0	16	50559	28141	5056	33197	45503	50559	
ऑफिस टेबल 42'X24' 15.2.17	5	42750	27834	0	0	0	5	27834	14916	2783	17699	25051	27834	
ऑफिस टेबल 48'X24' 15.217	1	9250	6022	0	0	0	1	6022	3228	602	3830	5420	6022	
ऑफिस टेबल 48'X30'15.2.17	3	29700	19336	0	0	0	3	19336	10364	1934	12298	17402	19336	
वर्क स्टेशन 15.2.17	9	110250	71782	0	0	0	9	71782	38468	7178	45646	64604	71782	
सोफा सेट वन सीटर 22.2.17	2	11910	7789	0	0	0	2	7789	4121	779	4900	7010	7789	
सोफा 2 सीटर 22.2.17	1	9330	6102	0	0	0	1	6102	3228	610	3838	5492	6102	
सोफा 3 सीटर 22.2.17	1	11580	7573	0	0	0	1	7573	4007	757	4764	6816	7573	
हाई बैक चेयर 22.2.17	6	35730	23367	0	0	0	6	23367	12363	2337	14700	21030	23367	
वूडेन सोफा सेट 2 सीटर 16.3.17	1	20250	13301	0	0	0	1	13301	6949	1330	8279	11971	13301	
वूडेन सोफा सेट 2 सीटर 16.3.17	2	20250	13301	0	0	0	2	13301	6949	1330	8279	11971	13301	
सेंट्रल टेबल 16.3.17	1	10125	6651	0	0	0	1	6651	3474	665	4139	5986	6651	
साइड टेबल 16.3.17	2	5625	3696	0	0	0	2	3696	1929	370	2299	3326	3696	
मीटिंग टेबल 28.3.17	1	25312	16699	0	0	0	1	16699	8613	1670	10283	15029	16699	
फुल हाइट स्टोरेज यूनिट 28.3.17	1	14766	9742	0	0	0	1	9742	5024	974	5998	8768	9742	
रिसेप्शन 28.3.17	1	39656	26163	0	0	0	1	26163	13493	2616	16109	23547	26163	
ऑफिस टेबल '48'X30'X30' (15.5.17)	1	9900	6589	0	0	0	1	6589	3311	659	3970	5930	6589	
ऑफिस टेबल 42'X24'X30' (6.6.17)	1	8550	5739	0	0	0	1	5739	2811	574	3385	5165	5739	
ऑफिस टेबल 48'X30'X30' (6.6.2017)	1	9900	6589	0	0	0	1	6589	3311	659	3970	5930	6589	
साइड रैक 36'X18'X30' (6.6.17)	6	37800	25374	0	0	0	6	25374	12426	2537	14963	22837	25374	
ब्रास प्लांटर (नंबर 12) 15.6.17	10	6248	229	0	0	0	10	229	6019	23	6042	206	229	
ब्रास प्लांटर (नं.14) 15.6.17	12	12537	457	0	0	0	12	457	12080	46	12126	411	457	
ब्रास प्लांटर (नं.16) 15.6.17	4	6090	222	0	0	0	4	222	5868	22	5890	200	222	
कार्यालय अलमारी 1200X900X450 29.9.17	7	90998	63186	0	0	0	7	63186	27812	6319	34131	56867	63186	

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

															28
कार्यालय अलमारी 78'X36'X19'	15	94,204	2417	0	0	0	15	2417	91787	242	92029	2175	2417		
कार्यालय अलमारी 50'X30'X17'	5	19,019	0	0	0	0	5	0	19019	0	19019	0	0		
बुक केस, 4 डोर्स	3	13,559	0	0	0	0	3	0	13559	0	13559	0	0		
एग्जीक्यूटिव विजिटर चेयर	10	35,952	0	0	0	0	10	0	35952	0	35952	0	0		
फ़ाइल कैबिनेट, 2 ड्राअर	4	15,630	0	0	0	0	4	0	15630	0	15630	0	0		
फ़ाइल कैबिनेट, 4 ड्राअर	5	27,113	988	0	0	0	5	988	26125	99	26224	889	988		
सेंटर टेबल	3	9,882	0	0	0	0	3	0	9882	0	9882	0	0		
स्टेबलाइजर के साथ एयर कंडीशनर	3	99,686	3633	0	0	0	3	3633	96053	363	96416	3270	3633		
रूम हीटर	4	1,400	0	0	0	0	4	0	1400	0	1400	0	0		
ब्रास लैम्प	1	5,976	218	0	0	0	1	218	5758	22	5780	196	218		
केबिन फैन	1	550	0	0	0	0	1	0	550	0	550	0	0		
स्टेबलाइजर के साथ एयर कंडीशनर	2	52,000	12704	0	0	0	2	12704	39296	1270	40566	11434	12704		
स्टेबलाइजर के साथ एयर कंडीशनर	1	32,000	10775	0	0	0	1	10775	21225	1078	22303	9697	10775		
स्टेबलाइजर के साथ वोल्टास विंडो एसी 1.5 टन	2	52,600	24989	0	0	0	2	24989	27611	2499	30110	22490	24989		
स्टेबलाइज़र के साथ वोल्टास स्पिलिट एसी 2 टन	1	46,000	21854	0	0	0	1	21854	24146	2185	26331	19669	21854		
यूपीएस एसीपी 700 वीए (जून/14)	1	4,850	182	0	0	0	1	182	4668	18	4686	164	182		
वोल्टास एयर कंडीशनर 31.3.17	3	85,300	50369	0	0		3	50369	34931	5037	39968	45332	50369		
एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर्स 3.5.17		6,000	219	0	0			219	5781	22	5803	197	219		
स्पिलिट एसी 1.5 टन 19.6.17	1	29,800	18628	0	0			18628	11172	1863	13035	16765	18628		
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज 1 सीटर सोफा (31.03.2022)				3	100440		3	100440	0	5022	5022	95418	0		
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज 3 सीटर सोफा (31.03.2022)				3	179280		3	179280	0	8964	8964	170316	0		
ड्यूरेन इंडस्ट्रीज सेंटर टेबल (31.03.2022) भाग				2	51091		2	51091	0	2555	2555	48536	0		
कुल		**4,970,887**	**2196351**		**330811**			**2527162**	**2774536**	**236178**	**3010714**	**2290984**	**2196351**		
ख. कार्यालय उपकरण (15.00%)			0					0							
रेफ्रिजरेटर व्हर्लपुर 190 लीटर (29/10/14)	1	12,500	3879	0	0	0	1	3879	8621	582	9203	3297	3879		
वाटर डिस्पेंसर वोल्टास (5/11/14)	1	10,000	3102	0	0	0	1	3102	6898	465	7363	2637	3102		
टेलीफोन इंस्ट्रुमेंट (बीटल) 31/3/15	10	8,949	2886	0	0	0	10	2886	6063	433	6496	2453	2886		
रेफ्रिजरेटर एलजी 195 लीटर (31/3/15)	1	13,800	4449	0	0	0	1	4449	9351	667	10018	3782	4449		
रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोलक्स 163 बीएम (31/3/15)	1	9,600	3095	0	0	0	1	3095	6505	464	6969	2631	3095		
वाटर डिस्पेंसर वोल्टास (31/3/14)	3	26,400	8512	0	0	0	3	8512	17888	1277	19165	7235	8512		
माइक्रोवेव ओवन आईएफबी (31/3/15)	3	17,700	5706	0	0	0	3	5706	11994	856	12850	4850	5706		
3 पीएंडटी लाइन के साथ स्टार ईपीएबीएक्स 28/11/2014	1	8,505	2246	0	0	0	1	2246	6259	337	6596	1909	2246		
पैनासोनिक पुश बटन टेली इंस्ट्रूंट 28/11/14	2	6,300	1664	0	0	0	2	1664	4636	250	4886	1414	1664		
कैनम स्कैनर डीआर–एम1060 ए3 एफबी 201 08/02/16	2	299,122	110984	0	0	0	2	110984	188138	16648	204786	94336	110984		
कैनम डिजिटल मल्टी प्रिंटर एमएफ 6180 08/2/16	5	220,500	81813	0	0	0	5	81813	138687	12272	150959	69541	81813		
माइक्रोटेक यूपीएस 800 वीए 27.7.16	1	4,388	134	0	0	0	1	134	4254	20	4274	114	134		
सुकैम यूपीएस 600 वीए 31.3.17	30	60,000	1842	0	0	0	30	1842	58158	276	58434	1566	1842		
कैनन डिजिटल कॉपियर (आईआर 2002एन) 17.11.16	1	69,983	34132	0	0	0	1	34132	35851	5120	40971	29012	34132		
कैनन डिजिटल कॉपियर (आईआर 2002एन) 9.3.17	1	69,950	34796	0	0	0	1	34796	35154	5219	40373	29577	34796		
वीयू अल्ट्रा एचडी टीवी (55') 29.3.17	1	66,675	33167	0	0	0	1	33167	33508	4975	38483	28192	33167		
रेफ्रिजरेटर सैमसंग 321 लीटर 30.3.17	2	70,000	34821	0	0	0	2	34821	35179	5223	40402	29598	34821		
आईपी पीबीएक्स सिस्टम– मैट्रिक्स जीई 6 एस 30.3.17	1	159,185	79185	0	0	0	1	79185	80000	11878	91878	67307	79185		
मैट्रिक्स डिजिटल की फोन 30.3.17	2	12,000	5970	0	0	0	2	5970	6030	896	6926	5074	5970		
मैट्रिक्स आईपी फोन– वीपी 248 एसई 30.3.17	5	39,700	19748	0	0	0	5	19748	19952	2962	22914	16786	19748		
मैट्रिक्स आईपी फोन– वीपी 110 30.3.17	30	120,000	59693	0	0	0	30	59693	60307	8954	69261	50739	59693		
पीओई के साथ आईपी फोन 1.3.17		68,000	2088	0	0	0		2088	65912	313	66225	1775	2088		
जीएसबी–10 आरई किट 7.9.17		3,749	115	0	0	0		115	3634	17	3651	98	115		
मैट्रिक्स जीई वीएमएस–16 कार्ड 4.12.17		24,869	14305	0	0	0		14305	10564	2146	12710	12159	14305		
हैवेल्स ऑयल फिल्ड रेडियोर रूम हीटर 6.3.18		133,030	80403	0	0	0		80403	52627	12060	64687	68343	80403		

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

एनपी से															
एम्पलीफायर के साथ ईपीएबीएक्स सिस्टम	1	71726	285	0	0	0	1	285	71441	43	71484	242	285	
पेपर श्रेडर तारास	1	14472	411	0	0	0	1	411	14061	62	14123	349	411	
फोटोकॉपियर (डब्ल्यूसी 123 कॉपियर प्रिंटर)	1	351380	10790	0	0	0	1	10790	340590	1619	342209	9171	10790	
हीट ब्लोअर	1	1360	42	0	0	0	1	42	1318	6	1324	36	42	
ऑफिस फैन	1	768	23	0	0	0	1	23	745	3	748	20	23	
पैनासोनिक टेलीफोन प्लान सिस्टम	1	12350	2419	0	0	0	1	2419	9931	363	10294	2056	2419	
क्राउन हीट कन्वर्टर्स	6	7358	226	0	0	0	6	226	7132	34	7166	192	226	
फ्रैंकिंग मशीन आईजे40	1	129353	19066	0	0	0	1	19066	110287	2860	113147	16206	19066	
वेइंग बैक के साथ			0	0	0	0		0		0		0	0	
ज़ेरॉक्स मशीन डब्ल्यूसी–5745 (मई–2013)	1	307534	64018	0	0	0	1	64018	243516	9603	253119	54415	64018	
टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स (अगस्त–2013)	24	14700	3096	0	0	0	24	3096	11604	464	12068	2632	3096	
फैक्स मशीन सैमसॉन्ग (एसएफ–651) (दिसंबर–13)	1	14595	3322	0	0	0	1	3322	11273	498	11771	2824	3322	
बायोमैट्रिक अटेंडेंस मशीन (यू300) (3/13)	1	14490	3404	0	0	0	1	3404	11086	511	11597	2893	3404	
टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स (मार्च–2013)	1	1299	40	0	0	0	1	40	1259	6	1265	34	40	
हीट कन्वर्टर (क्राउन)	7	11812	3119	0	0	0	7	3119	8693	468	9161	2651	3119	
इलेक्ट्रिक केटल	1	1000	263	0	0	0	1	263	737	39	776	224	263	
यूपीएस (एपीसी 600वीए) (30/7/2015)	3	9788	3726	0	0	0	3	3726	6062	559	6621	3167	3726	
टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स	15	11498	354	0	0	0	15	354	11144	53	11197	301	354	
प्लान सिस्टम	1	4500	138	0	0		1	138	4362	21	4383	117	138	
बैटरी और ट्रॉली के साथ इन्वर्टर (05–11–2018)	2	248340	139683				2	139683	97083	20952	118035	118731	139683	
फ्रैंकिंग मशीन (29–03–2019)	1	85100	59570				1	59570	25530	8936	34466	50634	59570	
वोल्टास स्प्लिट एसी 2 टन (31–05–2019)	1	55987	39191				1	39191	16796	5879	22675	33312	39191	
वोल्टास एयर कंडीशनर (24–06–2019)	1	45989	32193				1	32193	13796	4829	18625	27364	32193	
बजाज सीलिंग फैन (08–08–2019)	4	4885	3419				4	3419	1466	513	1979	2906	3419	
बजाज केबिन फैन (19–08–2019)	8	15115	10581				8	10581	4534	1587	6121	8994	10581	
वाटर डिस्पेंसिंग मशीन (30–08–2019)		163669	114569					114569	49100	17185	66285	97384	114569	
माइक्रोवेव ओवन (30–08–2019)	2	20000	14000				2	14000	6000	2100	8100	11900	14000	
फोटोकॉपियर कम प्रिंटर मल्टीपर्पज (09–02–2019)	4	175184	148906				4	148906	26278	11168	37446	137738	148906	
स्प्लिट एयर कंडीशनर (16–01–2020)	1	32999	28049				1	28049	4950	2104	7054	25945	28049	
ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र (22.6.2020)	2	14998	12748				2	12748	2250	1912	4162	10836	12748	
प्रेस्टीज इंडक्शन हीटर (23.07.2020)	2	6776	5760				2	5760	1016	864	1880	4896	5760	
ल्यूमिनोज यूपीएस 600 प्रो 650 (17.08.2020)	9	19296	16402				9	16402	2894	2460	5354	13942	16402	
एक इन्वर्टर बैटरी (24–08–2020)	1	14500	13050			0	1	13050	1450	1958	3408	11092	13050	
एग्जॉस्ट फैन (15.09.2020)	1	1500	1275				1	1275	225	191	416	1084	1275	
माइक्रोटेक इंटरेक्टिव यूपीएस (11.01.2021)	1	4698	4346				1	4346	352	652	1004	3694	4346	
माइक्रोवेव ओवन (08.02.2021)	2	14400	13320				2	13320	1080	1998	3078	11322	13320	
माइक्रोवेव ओवन (23.03.2021)	1	9799	9064				1	9064	735	1360	2095	7704	9064	
हिताची एयर कंडीशनर (30.03.2021)	2	78480	72594				2	72594	5886	10889	16775	61705	72594	
मल्टीपर्पज प्रिंटर (6.08.2021)				4	197758		4	197758	0	29664	29664	168094	0	
जैज़ टेबल लैंप (10.01.2022)				1	4000		1	4000	0	300	300	3700	0	
कुल		**3526603**	**1482197**		**201758**	**0**		**1683955**	**2032832**	**239023**	**2271855**	**1444932**	**1482197**	
									2032832	239023	2271855			
ग. कंप्यूटर और पेरिफेरल्स (40%)														
कंप्यूटर (एसर) इंटेल डुअल कोर (6/6/2008)	7	265511	1572	0	0	0	7	1572	263939	629	264568	943	1572	
सर्वर (एसर) इंटेल जिओ डुअल कोर (12/7/11)	1	206905	2234	0	0	0	1	2234	204671	894	205565	1340	2234	
कंप्यूटर (एचसीएल) इंटेल कोर 15	7	276312	2984	0	0	0	7	2984	273328	1194	274522	1790	2984	
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2011 (एचसीएल)	7	112482	1214	0	0	0	7	1214	111268	486	111754	728	1214	
प्रिंटर (एचपीएलजेपी16060एम)	3	35278	381	0	0	0	3	381	34897	152	35049	229	381	
प्रिंटर कलर (एचसीएल)	2	71838	776	0	0	0	2	776	71062	310	71372	466	776	
प्रीलोड के साथ एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर	14	618424	6679	0	0	0	14	6679	611745	2672	614417	4007	6679	
एचपी प्रिंटर (अगस्त–2013)	7	78071	843	0	0	0	7	843	77228	337	77565	506	843	
एलईडी टीवी पैनासोनिक 42 इंच (29/10/14)	1	42000	454	0	0	0	1	454	41546	182	41728	272	454	
स्कैनर और फैक्स के साथ प्रिंटर एचपी (3/2/15)	1	14800	160	0	0	0	1	160	14640	64	14704	96	160	
प्रिंटर लेजर जेट एचपी (31/3/15)	4	98700	1066	0	0	0	4	1066	97634	426	98060	640	1066	

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

														30
टेली ईआरपी गोल्ड 14/10/2015	1	54000	2737	0	0	0	1	2737	51263	1095	52358	1642	2737	
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्प्यूटर एचपी (10/2/2016)*	12	680659	53898	0	0	0	12	53898	626761	21559	648320	32339	53898	
कम्प्यूटर्स एचपी 12/09/2015	16	863537	68380	0	0	0	16	68380	795157	27352	822509	41028	68380	
कम्प्यूटर प्रिंटर एचपी 12/09/2015	8	124195	9834	0	0	0	8	9834	114361	3934	118295	5900	9834	
एचपी मॉनीटर टीएफटी 24" 21/02/2016	2	28980	2294	0	0	0	2	2294	26686	918	27604	1376	2294	
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 1 टीबी डब्ल्यूडी 31/3/2016	1	5355	424	0	0	0	1	424	4931	170	5101	254	424	
एपीसी यूपीएस 800 वीए 12.9.16	1	5513	625	0	0	0	1	625	4888	250	5138	375	625	
टीएफटी एचपी 23 वीएक्स एलईडी मॉनीटर 31.5.16	2	28580	2589	0	0	0	2	2589	25991	1036	27027	1553	2589	
एचपी 1108 लेजर प्रिंटर 23.8.16	1	9503	1024	0	0	0	1	1024	8479	410	8889	614	1024	
कम्प्यूटर सिस्टम एचपी 20/0291 एन 22.2.17	4	127600	18106	0	0	0	4	18106	109494	7242	116736	10864	18106	
कम्प्यूटर सिस्टम एचपी 22/बी032 आईएन 22.2.17	4	197600	28038	0	0	0	4	28038	169562	11215	180777	16823	28038	
कम्प्यूटर सिस्टम एचपी 24/क्यू151 आईएन 22.2.17	4	292800	41546	0	0	0	4	41546	251254	16618	267872	24928	41546	
पीओई स्विच 24 पोटर्स 30.3.17	2	32512	4798	0	0	0	2	4798	27714	1919	29633	2879	4798	
पीओई स्विच 8 पोटर्स 30.3.17	5	21094	228	0	0	0	5	228	20866	91	20957	137	228	
पीओई स्विच 10 पोटर्स 30.3.17	1	10125	1495	0	0	0	1	1495	8630	598	9228	897	1495	
आईपी डोम केमरा इंडोर 31.3.17	8	72000	10627	0	0	0	8	10627	61373	4251	65624	6376	10627	
आईपी बुलेट केमरा इंडोर 31.3.17	4	34200	5048	0	0	0	4	5048	29152	2019	31171	3029	5048	
एनीआर 16 चैलनों के साथ 12 टीबी हार्ड डिस्क 31.3.17	1	106875	15774	0	0	0	1	15774	91101	6310	97411	9464	15774	
												0		
												0		
कम्प्यूटर सिस्टम एचपी–22–बी232 में 31.3.17	8	457512	67526	0	0	0	8	67526	389986	27010	416996	40516	67526	
एचपी लेजर जेट प्रो एमएफपी एम 477 प्रिंटर (कलर) 31.3.17	1	62000	9151	0	0	0	1	9151	52849	3660	56509	5491	9151	
एप्सन एल 380 इंकजेट प्रिंटर 31.3.17	1	21800	3218	0	0	0	1	3218	18582	1287	19869	1931	3218	
लैपटॉप – एप्पल एमएमजीएफ 2 (आई-5)31.3.17	2	131000	19334	0	0	0	2	19334	111666	7734	119400	11600	19334	
लैपटॉप एचपी =15- बीई01474 (आई-3) 31.3.17	4	150000	22139	0	0	0	4	22139	127861	8856	136717	13283	22139	
सीसीटीवी केमरा 31.3.17	4	36000	5313	0	0	0	4	5313	30687	2125	32812	3188	5313	
2 टीबी एचडीडी सीगेट हार्ड डिस्क (17.8.17)		6350	1118	0	0	0		1118	5232	447	5679	671	1118	
एमएस ऑफिस होम 2016 मैक (17.8.17		13500	2377	0	0	0		2377	11123	951	12074	1426	2377	
एचपी कीबोर्ड और माउस कॉम्बो 22.1.18		7700	1576	0	0	0		1576	6124	630	6754	946	1576	
गैर–प्लान ट्रांसफर												0		
टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट (नोकिया 6260)	1	16500	178	0	0	0	1	178	16322	71	16393	107	178	
एचपी लेजर जेट प्रिंटर मॉडल 1020	1	11934	129	0	0	0	1	129	11805	52	11857	77	129	
पेन ड्राइव 4 जीबी	1	500	5	0	0	0	1	5	495	2	497	3	5	
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 500 जीएम	1	4950	53	0	0	0	1	53	4897	21	4918	32	53	
एचपी लैपटॉप	1	64039	692	0	0	0	1	692	63347	277	63624	415	692	
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 500 जीएम (सीगेट)	1	4600	50	0	0	0	1	50	4550	20	4570	30	50	
वेब केमरा (लॉजीटेक–सी–170)	1	1365	15	0	0	0	1	15	1350	6	1356	9	15	
सोनी डिजिटल केमरा (डब्ल्यू 830 एवं डब्ल्यू810)	2	14605	158	0	0	0	2	158	14447	63	14510	95	158	
लैपटॉप्स (04/12/2018)	4	249596	77874				4	77874	171722	31150	202872	46724	77874	
प्रेजेंटर लॉजीटेक (06/02/2019)	1	3450	1159				1	1159	2291	464	2755	695	1159	
कीबोर्ड और माउस कॉम्पो (31-3-2019)	10	6890	2480				10	2480	4410	992	5402	1488	2480	
राउटर ड्लिंक (31-3-2019)	1	1360	490				1	490	870	196	1066	294	490	
स्विच डी–लिंक 8 और पोर्ट (31-3-2019)	1	1300	468				1	468	832	187	1019	281	468	
एचपी कम्प्यूटर ऑल–इन–वन (26-09-2019)	5	279995	100798				5	100798	179197	40319	219516	60479	100798	
एमआई डिजिटल टेलीविजन (17-10-2019)	3	33997	16319				3	16319	17678	6528	24206	9791	16319	
अरूबा वायरलेस सिस्टम्स	1	59708	28660				1	28660	31048	11464	42512	17196	28660	
यूपीएस 1 केवी	1	4068	1952				1	1952	2116	781	2897	1171	1952	
सिक्योरिटी केमरा (06.07.2020)	1	2899	1739				1	1739	1160	696	1856	1043	1739	
बहु कार्य प्रिंटर कैनन (25.09.2020)	4	195957	117574				4	117574	78383	47030	125413	70544	117574	
एचपी कम्प्यूटर (15.10.2020)	1	84573	67658				1	67658	16915	27063	43978	40595	67658	
एक बहु कार्य प्रिंटर (6.11.2020)	1	59278	47422				1	47422	11856	18969	30825	28453	47422	
कम्प्यूटर (11.01.2021)	1	80298	64238				1	64238	16060	25695	41755	38543	64238	
माउस एवं की बोर्ड कोम्पो (26.02.2021)	20	14801	11841				20	11841	2960	4736	7696	7105	11841	
इन्टैक्स स्मार्ट टेलीवजिन (15.03.2021)	1	14988	11990				1	11990	2998	4796	7794	7194	11990	
कैनन स्कैनर (22.03.2021)	2	99330	79464				2	79464	19866	31786	51652	47678	79464	
कम्प्यूटर ड्वैल (31.03.2021)	3	286034	228827				3	228827	57207	91531	148738	137296	228827	
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क (12.02.2020)	2	10300	4944				2	4944	5356	1978	7334	2966	4944	
1 टीबी हार्ड डिस्क (06.08.2021)				2	23431		2	23431	0	9372	9372	14059	0	
लैपटॉप (29.03.2022)				3	270000		3	270000	0	54000	54000	216000	0	
कंप्यूटर डेस्कटॉप (29.03.2022)				2	174000		2	174000	0	34800	34800	139200	0	
योग		**7008626**	**1284757**		**467431**	0		**1752188**	**5723869**	**513906**	**6237775**	**1238282**	**1284757**	
										612078				
घ. पुस्तकालय की पुस्तकें		45521	374		0	0		374	0		0	374	374	
ङ. कार्यक्रम परिसंपत्तियां														
कोम्पो बाइंडिंग मशीन (23-10-2019)	1	4500	3850				1	3850	650	1540	2190	2310	3850	
केयरिंग्स कार्यक्रम के लिए लैपटॉप (14/11/2018)	2	246380	70957				2	70957	175423	28383	203806	42574	70957	
निराक्षण और निगरानी के लिए कैमरा (30/3/20)	1	24869	19553				1	19553	5316	7821	13137	11732	19553	
मीडिया प्रचार–प्रसार के लिए कोरल ग्रो ग्राफिक (26/12/19)	1	67248	43038				1	43038	24210	17215	41425	25823	43038	
एंटीवायरस क्यूएच टोर्टल शील्ड 3 वर्ष (01/01/2020)	7	78400	45734				7	45734	32666	18294	50960	27440	45734	
सिक्योरिटी केमरा *	1	5398	3239				1	3239	2159	1296	3455	1943	3239	
कम्प्यूटर ड्वैल (31.03.2021)	2	207000	165600				2	165600	41400	66240	107640	99360	165600	
योग		**633795**	**351971**		**0**			**351971**	**281824**	**140789**	**422613**	**211182**	**351971**	
सकल योग		**16185432**	**5315650**	**0**	**1000000**	**0**	**0**	**6315650**	**10813061**	**1129896**	**11942957**	**5185754**	**5315650**	

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम

दिनांक 31.3.2022 तक की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक–ख

क्र.सं.	एनजीओ/सरकारी कार्यालय का नाम	जारी करने की तारीख	राशि	अभ्युक्ति
1	आईसीसीडब्ल्यू नई दिल्ली	19.8/10.9.2008	618860	
2	यशोदा पुणे		55000	
3	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, रायपुर	03.06.2010	164320	
4	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, आंध्र प्रदेश	24.02.2011	248808	
5	स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, नागालैंड	02.09.2011	99704	
6	आईसीडीएस, सोसायटी, बैंगलोर, कर्नाटक	20.10.2011	54400	
7	आयुक्त और स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, पुणे	16.12.2014	237510	
8	निदेशक, गोवा लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015	109592	
9	निदेशक, एसडब्ल्यू एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, रांची	10.12.2015	199490	
10	सीईओ, एपी एसपीई ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, विजयवाड़ा	10.03.2016	132329	
11	महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	19.01.2018	354712	
12	महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	22.02.2018	117173	
13	निदेशक, आईसीपीएस, सिक्किम	13.03.2018	213251	
14	कर्नाटक स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	15.03.2018	475661	
15	कर्नाटक स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	05-07-2019	402060	
16	निदेशक, बाल अधिकार, पश्चिम बंगाल	05-08-2019	551340	
17	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार	17-09-2019	758760	
18	महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	11.11.2021	123000	
19	वेस्ट बंगाल चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	11.11.2021	123000	
20	एनआईपीसीसीडी गुवाहाटी	12.11.2021	395117	
21	निदेशक डीएसडब्ल्यू, पटना	17.11.2021	123000	
	कुल		**5557087**	

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम

32

	कर्मचारियों का नाम	बकाया राशि 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार	अभ्युक्तियां
क	त्यौहार अग्रिमः			
	कुल क			
ख	गृह निर्माण अग्रिम			
	श्री विनोद कुमार साहू– उप निदेशक	15,68,500	2,030,500	
ग	कंप्यूटर अग्रिमः			
	कमल किशोर – उप निदेशक		35,000	
घ	कार अग्रिम :			
ङ	स्कूटर एडवांस			
	श्री सी एस भक्त – एलडीसी		-	
च	टीए अग्रिम			
	श्री आशुतोष– सहायक निदेशक		-	
छ	चिकित्सा अग्रिम			
	श्री संजय कुमार – डीईओ	-	692,800	
ज	अन्य			
		-	-	
			-	
	श्री दीपक राठौर	5,000	5,000	
	कुल ख	**15,73,500**	**27,63,300**	
	सकल योग (क+ख+ग+घ)	**15,73,500**	**27,63,300**	

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

दिनांक 31/03/2022 तक की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान

क्र.सं.	व्यय शेष	व्यय का विवरण	राशि
1	कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण	दमन इंटर कूल सिस्टम्स	15,120.00
2	समाचार पत्र और पत्रिकाएं	सेंट्रल न्यूज एजेंसी	1,643.00
3	यात्रा संबंधी व्यय	जी. रवि कुमार– सहायक निदेशक	17,277.00
4	स्टेशनरी व्यय	जीईएम पार्टी	1,60,767.00
5	कार किराए पर लेने का शुल्क	प्रयोगशाला सेवाएं	4,679.00
6	विधिक और वृत्तिक शुल्क	अधिवक्ता अजय जी तलहर, अधिवक्ता निधि रामा, अधिवक्ता प्रसन्ना कुमार, अधिवक्ता बी जितेन्द्र	1,14,730.00
7	लेखा परीक्षा शुल्क खाता	आंतरिक लेखा परीक्षक	34,220.00
8	लेखा परीक्षा शुल्क खाता	सांविधिक लेखापरीक्षा (सी एंड एजी)	2,20,200.00
		कुल योगः–	**5,68,636.00**

हस्ता./–
(श्री. सुरेश कुमार एन.वी.)
लेखा अधिकारी (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(डॉ. जगन्नाथ पति)
निदेशक, कार्यक्रम (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

हस्ता./–
(सुश्री. तृप्ति गुरहा)
सदस्य सचिव और सीईओ (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

टिप्पणी

''प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।''

CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम,
नई दिल्ली-110 066
टोल फ्री/टेली. नं.: 1800-11-1311, 011-26760471/72/73/74
ई-मेल: carahdesk.wcd@nic.in
वैबसाइट: www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development, Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram,
New Delhi-110066,
Toll Free /Tel. No.: 1800-11-1311, 011-26760471/72/73/74
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in
website: www.cara.nic.in